प्रतिवेदन

दिनाँक १९ मार्च, १९७३ को होली के अवसर पर सागर विश्वविद्यालय के निवेदिता महिला छात्रावास में हुई घटना के संबंध में

द्वारा

श्री के. एन. शुक्ल,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर

(शासन के संबंधित संकल्प सहित)

भोपाल

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

१९७४

[मूल्य ०.३० पैसे]

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. एम. पी. सी. 49.

पंजी क्रमांक एम. पी.—533.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 सितम्बर 1974—आश्विन 2, शके 1896.

गृह विभाग

('क्ष' अनुविभाग)

भोपाल, दिनांक २४ सितम्बर १९७४.

फा० क्र० ८-२-७४-क्ष-एक—शुद्धिपत्र.—इस विभाग का संकल्प फा० क्र० ८-२-(१)-७४-क्ष-एक, दिनांक ११ जुलाई १९७४ जिसे "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १७ अगस्त १९७४ को प्रकाशित किया गया, के पैरा १, २ तथा ६ में उल्लिखित नाम "श्री कैलाशनाथ शुक्ल" की जगह "श्री कौशलेन्द्र नाथ शुक्ल" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
र० च० राय, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित— 1974.

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग

(क्ष-अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ११ जुलाई १९७४—आषाढ़ २०, १८९६.

फा. क्र. ८-२ (१)।७४।क्ष-१.—राज्य शासन द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र. च. राय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग).

संकल्प

फा. क्र. ८-२ (१) ।७४।क्ष-१, भोपाल, दिनांक ११ जुलाई १९७४—आषाढ़ २०, १८९६.

१९ मार्च, १९७३ को सागर में होली के अवसर पर सागर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों द्वारा निवेदिता छात्रावास के अन्तःवासियों के साथ अभिकथित दुर्व्यवहार की घटना से सम्बद्ध निम्नलिखित बातों की न्यायिक जांच शासन की ९ अप्रैल, १९७३ की अधिसूचना (क्रमांक ८-६६।७३।क्ष-१) द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर, श्री कैलाशनाथ शुक्ल, को सौंपी गई:—

(एक) क्या सागर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक १९ मार्च, १९७३ को निवेदिता छात्रावास के अन्तःवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यदि ऐसा हो, तो किस प्रकार से ?

(दो) दुर्व्यवहार, यदि किया हो, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार था ?

(तीन) क्या इस घटना के संबंध में पर्याप्त तथा तत्काल कार्यवाही की गई थी ? यदि न की गई हो, तो किसी भी त्रुटि के लिये कौन उत्तरदायी था ?

(चार) क्या इस अभिकथित घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति का बर्ताव भी किसी रीति से दोषपूर्ण था और यदि दोषपूर्ण हो, तो किस प्रकार से ?

जांच के पूरे अभिलेखों के साथ ३१ दिसम्बर, १९७३ को आयोग ने अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया.

२. आयोग के विचारार्थ बातों के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ शुक्ल के निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:—

(एक) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा १९ मार्च, १९७३ को निवेदिता छात्रावास के अन्तःवासियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया.

(दो) न उत्तम खटीक अथवा न अन्य किसी ने निवेदिता छात्रावास के अन्तःवासियों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया.

(तीन) प्रथम, इसलिये कि १९ मार्च, १९७३ को कोई गंभीर या असामान्य बात नहीं हुई थी अतएव किसी तुरन्त एवं समुचित कार्रवाई करने का प्रश्न अपेक्षित नहीं था, एवं दूसरे इसलिये कि कुलपति ने प्राक्टर के द्वारा वार्डन की शिकायत पर कार्रवाई अवश्य प्रारम्भ की, किन्तु जांच की जाने पर शिकायत असत्य पाई गई.

(चार) घटना का दोष वार्डन कुमारी स्नेहरानी जैन पर ही है, जिसने कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुचित साधनों को अपनाया एवं औचित्य की सभी सीमाओं को लांघ दिया है. राज्य शासन ने उपर्युक्त विचारार्थ बातों के संबंध में आयोग के निर्णयों और निष्कर्षों पर विचार किया है और वह (एक), (दो), (तीन) और (चार) पर आयोग के सब निष्कर्षों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है.

३. आयोग ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका ५९ में चाहा है कि कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति सागर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच करे. शासन का ख्याल है कि अकेले एक ही दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर जबकि आयोग के अनुसार समग्र घटना के लिये एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, आयोग के प्रस्तावानुसार ऐसी कोई जांच समिति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है.

४. राज्य शासन, तदनुसार, निम्नानुसार संकल्प करता है :—

संकल्प किया—

(एक) कि, आयोग को सौंपे विचारार्थ बातों (एक), (दो), (तीन) और (चार) पर उसके निष्कर्ष उसके द्वारा दर्शाये गए कारणों के आधार पर स्वीकार किये जायें.

(दो) कि, आयोग के प्रतिवेदन की कंडिका ५९ के संदर्भ में अकेले एक ही घटना के आधार पर, विशेषकर जबकि आयोग के अनुसार समस्त घटना के लिये एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, आयोग के सुझाव के अनुसार सागर विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच के लिये कोई उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं है.

५. सागर में १९ मार्च, १९७३ को हुई अनपेक्षित घटनाओं के प्रसंग में कदाचित जिन लोगों को असुविधाएं हुईं, उनके लिये शासन खेद प्रकट करना चाहता है.

६. अन्त में शासन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ शुक्ल को देश की सर्वोत्तम न्यायिक परम्पराओं के अनुसार जिस लगन और सावधानी से जांच का कार्य सम्पन्न करने के लिये निरन्तर परिश्रम करना पड़ा है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता है.

७. आदेश दिया जाता है—

(क) कि, संकल्प की प्रतियां सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाएं, और

(ख) कि, यह संकल्प प्रकाशन विभाग द्वारा समाचार पत्रों को जारी किया जाये, और साथ ही उसकी एक प्रति "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण में प्रकाशित की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

र. च. राय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (क्ष-अनुविभाग).

श्री के. एन. शुक्ल, एम. ए., एल. एल. बी., जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर, म. प्र. एवं सदस्य, कमीशन ऑफ़ इनक्वायरी (कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत) के समक्ष

प्रस्तावना

कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट, 1952 (साठ सन् 1952) की धारा 3 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 1973 के असाधारण अंक में अधिसूचना क्रमांक 8-66-73/क्ष-एक के द्वारा सार्वजनिक महत्व की निम्नलिखित बातों की न्यायिक जांच हेतु एक जांच आयोग (कमीशन ऑफ़ इनक्वायरी) की नियुक्ति घोषित की :—

(1) क्या सागर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक 19 मार्च, 1973 को निवेदिता छात्रावास के अंत:वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यदि ऐसा हो, तो किस प्रकार से ?

(2) दुर्व्यवहार, यदि किया हो, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार था ?

(3) क्या इस घटना के संबंध में पर्याप्त तथा तत्काल कार्यवाही की गई थी? यदि न की गई हो, तो किसी भी त्रुटि के लिये कौन उत्तरदायी था ?

(4) क्या इस अभिकथित घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति का बर्ताव किसी भी रीति से दोषपूर्ण था और यदि दोषपूर्ण हो, तो किस प्रकार से?

2. शासन ने यह भी घोषणा की कि कमीशन एक सदस्यीय होगा एवं श्री के. एन. शुक्ल, जिला तथा सत्र न्यायाधीश, सागर (अधोहस्ताक्षरकर्त्ता) ही उसके एकमात्र सदस्य रहेंगे. उसके द्वारा यह भी आदेश दिये गये कि कमीशन आफ इनक्वायरी एक्ट, 1952 (साठ सन् 1952) के सभी उपबन्ध आयोग की सभी कार्यवाही पर लागू होंगे.

3. शासन ने, बाद में, अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ-66 (एक)-73-क्ष-एक, दिनांक 12-9-1973 के द्वारा आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि 31 दिसम्बर 1973 तक बढ़ा दी.

4. उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् आयोग ने सर्वसाधारण की जानकारी के लिये निम्नलिखित विज्ञप्ति प्रकाशित की :—

"जो कि मध्यप्रदेश शासन ने एतद्द्वारा सार्वजनिक महत्व की निम्नलिखित बातों की जांच करने तथा उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने हेतु इस जांच आयोग (कमीशन आफ इनक्वायरी) का गठन किया है—

(एक) क्या सागर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक 19 मार्च 1973 को निवेदिता छात्रावास के अंत: वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यदि ऐसा हो, तो किस प्रकार से ?

(दो) दुर्व्यवहार, यदि किया हो, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार था?

(तीन) क्या इस घटना के संबंध में पर्याप्त तथा तत्काल कार्यवाही की गई थी? यदि न की गई हो, तो किसी भी त्रुटि के लिये कौन उत्तरदायी था?

(चार) क्या इस अभिकथित घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति का बर्ताव किसी भी रीति से दोषपूर्ण था और यदि दोषपूर्ण हो तो किस प्रकार से?

(अ) अतः इस सूचना के द्वारा हर उस व्यक्ति को जो विचाराधीन जांच के तथ्यों से परिचित हो अथवा जिसके आधिपत्य में इस जांच से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालने वाले कोई प्रलेख हों अथवा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस जांच से प्रभावित या संबंधित होकर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु इच्छुक हो, आयोग के दीवानी न्यायालय, सागर स्थित कार्यालय में दिनांक 4 जून 1973 को प्रातः 11 बजे आवाहन किया जाता है कि वहां विचाराधीन विषय के संबंध में स्वयं का नाम पता एवं अपनी जानकारी के तथ्यों का विवरण आयोग को प्रस्तुत करे.

(ब) यह निर्देशित किया जाता है कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण प्रस्तुतकर्त्ता के ऐसे शपथपत्र से संलग्न हो जिसमें विवरण का समर्थन हो.

(स) यह भी निर्देशित किया जाता है कि विवरण प्रतुतकर्त्ता अपने विवरण के साथ उन प्रलेखों की सूची भी प्रस्तुत करे जिनपर वह अपने विवरण की पुष्टि हेतु आश्रित रहना चाहता है और जहां तक सम्भव हो उक्त प्रलेखों अथवा उनकी सत्य प्रतिलिपियों को जो उसके आधिपत्य या अधिकार में हों, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अन्य प्रलेखों के संबंध में उन व्यक्तियों के नाम व पते प्रतुत करे जिनसे उक्त प्रलेख आहूत किये जा सकें."

5. उपरोक्त विज्ञप्ति मध्यप्रदेश राजपत्र में 3-5-1973 के असाधारण अंश में प्रकाशित की गई थी. उसका सागर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "दैनिक राही", जबलपुर से प्रकाशित दैनिक "देशबन्धु" एवं भोपाल से प्रकाशित दैनिक "भास्कर", "दी हितवाद" (अंग्रेजी) एवं "एम. पी. क्रानिकल" (अंग्रेजी) में भी विस्तृत प्रकाशन किया गया.

6. इस विज्ञप्ति के द्वारा आयोग ने उस प्रत्येक व्यक्ति को जो विचाराधीन जांच के तथ्यों से परिचित हो अथवा जिसके आधिपत्य में इस जांच से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालने वाले कोई प्रलेख हों अथवा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस जांच से प्रभावित या संबंधित होकर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु इच्छुक हो, 4 जून 1973 तक कमीशन के दीवानी न्यायालय स्थित कार्यालय में, उसके पास के तथ्यों का विवरण एवं शपथ देने का आवाहन किया.

7. आयोग ने यह उचित समझा कि निवेदिता होस्टल के उन सभी अंतःवासियों के जो तारीख 19-3-1973 को होस्टल में निवास कर रहे थे नाम तथा पते, एवं स्टाफ एवं अंतःवासियों की उपस्थिति रजिस्टर की प्रतियां होस्टल की वार्डन से आहूत की जावें. ये सब आयोग के समक्ष 15-5-1973 को प्रस्तुत किये गये. आयोग ने, सभी अंतःवासियों को उपरोक्त विज्ञप्ति की प्रतियां डाक से भेजीं. विज्ञप्ति की प्रतियां तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर ईश्वरचन्द्र को, वर्तमान रजिस्ट्रार को एवं निवेदिता होस्टल की तत्कालीन वार्डन डाक्टर कुमारी स्नेहरानी जैन को भी, उनकी व्यक्तिगत सूचना के लिये, भेजीं. नगर के प्रमुख नागरिकों को अर्थात् विधान सभा सदस्यों, नगरपालिका अध्यक्ष, विभिन्न राजनैतिक दलों के नगराध्यक्षों को एवं श्री पद्मनाथ तैलंग को (जिन्होंने, कहा जाता है, जांच से संबंधित घटना के विरुद्ध प्रोटेस्ट स्वरूप, सागर विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल से स्तीफा दे दिया था) भी विज्ञप्ति की प्रतियां भेजी गयीं. यह उल्लेखनीय है कि अन्त में दिये गये व्यक्तियों में से किसी ने भी आयोग के समक्ष कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया और न उसकी कार्यवाहियों में कोई दिलचस्पी ली.

8. उपरोक्त विज्ञप्ति एवं सूचनाओं की अनुक्रिया अथवा उत्तर के रूप में 4-6-1973 तक 25 शपथपत्र एवं विवरण प्राप्त हुए. विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने अर्थात् आलोक प्रतापसिंह एवं उत्तमचन्द ने, जो 30-5-1973 को किसी अन्य घटना से संबंधित होकर जेल में थे, अपने शपथ-पत्र और विवरण प्रस्तुत करने के लिये कुछ और समय चाहा. उन्हें इसके लिये 19 जून 1973 तक का समय दिया

गया. इसी बीच 17 और विवरण एवं शपथपत्र कमीशन के समक्ष प्रस्तुत हुए एवं उसके द्वारा स्वीकार किये गये. विश्वविद्यालय के टीचिंग डिपार्टमेन्ट्स ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात् 2 जुलाई 1973 को ही खुले थे, अतएव आयोग ने विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने की तिथि 10 जुलाई, 1973 तक बढ़ा दी एवं विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रजिस्ट्रार, निवेदिता होस्टल की तत्कालीन वार्डन डा. स्नेहरानी जैन एवं वर्तमान वार्डन को इसका विस्तृत प्रकाशन करने को कहा गया. जन संपर्क अधिकारी सागर को भी तिथियों के उपरोक्त रूप से बढ़ाने का प्रकाशन करने के लिये कहा गया. यह स्थानीय पत्र "दैनिक राही" में 8 जून 1973 एवं 27 जून 1973 को प्रकाशित हुआ और कोई विवरण प्राप्त नहीं हुए तथा आयोग ने, जांच के लिये, अपनी प्रणाली निश्चित करने के लिये 20 जुलाई 1973 की तिथि निश्चित की. चूंकि पिछली तिथि पर विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले उपस्थित नहीं हुए थे, आयोग ने उन सभी को सुनवाई की इस तिथि अर्थात् 20-7-1973 को सूचना दी.

9. तारीख 20-7-1973 को विवरण, शपथपत्र एवं प्रलेखों को जांचा गया. उनकी जांच पर, यह पाया गया कि (1) कुछ व्यक्तियों ने यह अभिकथन किया था कि 19-3-1973 को निवेदिता होस्टल सागर में उपद्रव हुआ था. उन्होंने उनमें तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर ईश्वरचन्द्र पर भी अकर्मण्यता का आरोप लगाया था. (2) कुछ अन्यों ने तत्कालीन वार्डन डा. स्नेहरानी जैन पर दोष लगाया था. उनके अनुसार 19-3-1973 को निवेदिता होस्टल में या उसके सामने कोई उपद्रव नहीं हुआ. उनके अनुसार, इसके विपरीत, वार्डन कुमारी स्नेहरानी जैन ने लड़कियों के होस्टल की दीवाल पर अपशब्दों से भरा एक पोस्टर लगाया था जिससे छात्र भड़कें एवं उनमें क्षोभ फैला. (3) कुछ अन्यों ने जिनमें निवेदिता छात्रावास के अंतःवासी एवं उसके पड़ोस में रहने वाले प्राध्यापक हैं, यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 19 मार्च 1973 को छात्रों का एक छोटा समूह छात्रावास के प्रांगण में घुसा अवश्य और प्रतिवर्षानुसार वे वहां नाचे एवं होली के समय जो गीत गाये जाते हैं वे उन्होंने गाये परन्तु उन्होंने न किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया और न किसी को गालियां दीं. (4) छात्र जिनके नाम वार्डन कु. स्नेहरानी जैन ने उपद्रवकारियों के रूप में लिये थे और जिन्हें भी सूचना भेजी गयी थी. उनमें से दो ने उनपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत किए.

10. इस प्रकार विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का विभाजन उनके परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का क्रम जानने हेतु 4 श्रेणियों या ग्रुपों में किया गया.

ग्रुप क्रमांक एक—

वे जिन्होंने छात्रों पर उपद्रव करने का एवं उपकुलपति डा. ईश्वरचन्द्र पर अकर्मण्यता का आरोप लगाया था.

ग्रुप क्रमांक दो—

वे जिन्होंने पूरे काण्ड का उत्तरदायित्व तत्कालीन वार्डन डा. स्नेहरानी जैन पर डाला था.

ग्रुप क्रमांक तीन—

वे जिन्होंने यह कहा कि लड़के आये तथा उन्होंने पिछले वर्षों के अनुसार होली मनाई थी परन्तु अप्रत्याशित बात नहीं हुई थी.

ग्रुप क्रमांक चार—

वे छात्र जिन्हें उपद्रवकारी बतलाया गया था.

11. आयोग ने उन व्यक्तियों को जिन्होंने विवरण एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे, प्रलेख प्रस्तुत करने एवं उन साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने की अनुमति दी जिन्हें वे अपने पक्ष समर्थन में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना या करवाना चाहते थे तथा उन साक्षियों की तथा उन प्रलेखों को, जो उपलब्ध हो सके, आयोग द्वारा आहूत किया गया.

12. आयोग ने साक्ष्य हेतु अपनी बैठकें दिनांक 10 सितम्बर 1973 से आरम्भ की और ये 27-11-1973 तक चलीं. अंतिम तर्क 5-12-1973 तक सुने गये.

13. आयोग के समक्ष कुल 52 साक्षियों का परीक्षण हुआ. आयोग को कुल 42 शपथ-पत्र सामान्य सूचना के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे. उनमें से केवल उन 10 को छोड़कर जिन्होंने अपने शपथ-पत्रों में यह कहा था कि वे 19-3-1973 को सागर में उपस्थित नहीं थे अथवा जिनकी उपस्थिति कई प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं पायी जा सकीं, सभी के परीक्षण किए गये हैं. इन 52 में 32 वे हैं जिन्होंने अपने विवरण एवं शपथपत्रों में प्रत्यक्ष सुनवाई की इच्छा प्रकट की थी.

14. मेरे द्वारा परीक्षित कुल साक्षियों में 14 वे छात्राएं हैं जो कथित घटना के दिन छात्रावास में उपस्थित थीं तथा अन्य 14 छात्रावास के सेवक हैं.

15. आयोग ने जिलाध्यक्ष, सागर की सहायता से निवेदिता छात्रावास सागर विश्वविद्यालय का एक साइट प्लान तैयार करवाया था. आयोग ने उसका एक ग्राउन्ड प्लान भी प्राप्त किया. दिनांक 30-11-1973 को साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 2-12-1973 को घटनास्थल का निरीक्षण किया जिससे प्रस्तुत नक्शों की जांच की जा सके एवं आयोग के समक्ष आये हुए साक्ष्य को ठीक तरह से आंका जा सके. घटनास्थल का निरीक्षण डा. स्नेहरानी जैन, ग्रुप क्रमांक 4 के छात्रों के अधिवक्ता श्री सराफ, विश्वविद्यालय के अभिभाषक श्री जी. एस. श्रीवास्तव एवं छात्रावास की प्रिफेक्ट कु. ज्योत्सना सिंग के समक्ष किया गया. वर्तमान वार्डन डा. श्रीमती उर्मिला वर्मा तथा वर्तमान उपकुलपति एवं कुलसचिव भी तब उपस्थित थे. उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ है.

16. आयोग ने इस घटना से सम्बन्धित प्रकाशित सभी उपलब्ध समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को एकत्रित किया है, और वे इस रिपोर्ट के साथ पृथक् नस्ती में रखे गये हैं. आयोग ने विश्वविद्यालय कार्यालय से वे सभी प्रलेख प्राप्त किये जो छात्रावास के पिछले प्रशासन के सम्बन्ध में प्रकाशडाल सकते थे और जो आयोग को जांच के अन्तर्गत घटनाओं का मूल्यांकन करने में उपयोगी हो सकते थे.

17. (एक) आयोग ने उसके समक्ष प्रस्तुत व उसके द्वारा आहूत सभी साक्ष्य पर विचार किया है एवं कमीशन की रिपोर्ट संलग्न है.

(दो) अन्त में आयोग सागर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष एवं साक्षियों को, उनके उस सहयोग के लिये, जिसके कारण इस आयोग को उसे सौंपी गयी बातों पर रिपोर्ट करना सम्भव हुआ है, धन्यवाद देता है.

सही—

(के. एन. शुक्ल)

मेम्बर,

सागर :

दिनांक 31-12-1973,

आंच आयोग.

प्रतिवेदन

जांच का विषय विद्यार्थियों---छात्र एवं छात्राओं, उनके उत्सुक पालकों, अध्यापकों व विश्वविद्यालयीन पदाधिकारियों के लिये विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व का है. सागर नगर के निवासियों के लिये भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनके लिये यदि कोई गौरव की वस्तु है तो यह सागर विश्वविद्यालय ही है जिसे उसके महान पुत्र सर हरीसिंह गौर ने जन्म दिया था.

2. सर हरीसिंह गौर की यह उत्कट महत्वकांक्षा थी कि इस सागर विश्वविद्यालय का निर्माण न केवल विभागों की स्थापनाओं में ही केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुरूप हो अपितु उसकी यशस्वी उन परम्पराओं के अनुरूप भी हो कि जिसके लिये वह विद्यालय इतने वर्षों से प्रसिद्ध है. सर हरीसिंह गौर ने उसके लिये पथरिया पहाड़ियों पर एक सुरम्य स्थान का चयन किया एवं वहां पर उन विभागों की स्थापना की जिससे आकर्षित होकर देश के सभी भागों से विद्यार्थीगण—छात्र एवं छात्राएं, अध्ययन हेतु यहां आते हैं.

3. विश्वविद्यालय का निवेदिता छात्रावास नामक एक महिला छात्रावास है जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और जिसके चारों ओर एक गोलाकार मार्ग है. इस गोलाकार मार्ग पर वरिष्ठ प्राध्यापकों के, विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों अर्थात् रेक्टर, कुलसचिव एवं प्राक्टर के निवास गृह स्थित हैं. इस तथ्य को आयोग के समक्ष आये हुए साक्ष्य के मूल्यांकन के समय ध्यान में रखना आवश्यक है.

4. सामान्य रूप से शान्त और निर्विकार नगर सागर अचानक चौंक पड़ा जब भोपाल से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'म. प्र. क्रानिकल' एवं 'दी हितवाद' में तथा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'नेशनल हेराल्ड' में पहली बार 26 मार्च 1973 को और उसके पश्चात् निवेदिता होस्टल की तथाकथित घटना के सम्बन्ध में समाचार मिलना उन्हें आरम्भ हुआ, क्योंकि तब तक समाचार पत्रों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं था यद्यपि सागर नगर में ही 2 हिन्दी दैनिक समाचार पत्र तथा कुछ साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं. दिनमान, ब्लिट्ज व फेमिना जैसे सम्पूर्ण भारत में पढ़े जाने वाले पत्र पत्रिकाओं ने भी तथाकथित घटना तथा उसके बाद की घटनाओं के बारे में अपने स्वयं के मत व्यक्त किये. विधान-सभा में भी, जिसकी बैठकें तब चालू थीं, इस तथाकथित घटना को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया एवं दिनांक 30 मार्च को माननीय शिक्षामंत्री ने इस तथाकथित घटना की जांच हेतु आयोग गठित करने की घोषणा की "क्योंकि इस घटना के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न प्रकार के विवरण प्रकाशित किये जा रहे थे". इस रिपोर्ट के साथ संलग्न एक पत्रिका में रखे हुए समाचार पत्रों की कतरनें दर्शावेंगी कि इस घटना के स्वरूप एवं उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में, समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरणों में कितना तीखा अन्तर है. समय के साथ उपरोक्त आंधी से उड़ने वाली धूल बैठ चुकी है और अब पूरी घटना को बिना किसी भावावेक के देखा जा सकता है एवं मुख्य एवं बाद की घटनाओं के मुख्य पात्रों के वास्तविक उद्देश्य को ढूंढा जा सकता है.

5. इस आयोग द्वारा जांच के लिये निर्देशित प्रथम प्रश्न निम्न प्रकार है :—

> "क्या सागर विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक 19-3-73 को निवेदिता छात्रावास के अन्तःवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया और यदि ऐसा हो तो किस प्रकार से ?"

6. इसके पूर्व कि हम दुर्व्यवहार के प्रश्न की विवेचना करें यह उचित रहेगा कि हम यह देखें कि गत वर्षों में विश्वविद्यालय के लड़के और लड़कियां विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्दर होली, सामान्य रूप से, किस प्रकार मनाते थे. यह देखने के लिये कि क्या इस वर्ष की होली के समय लड़कों का कोई

व्यवहार दुर्व्यवहार की परिभाषा में आता है, कसौटी का काम देगा. कुमारी स्नेहरानी जैन ने इस आयोग के समक्ष अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उसे ज्ञात नहीं कि क्या पिछले वर्षों में होली के दिन, लड़के, महिला छात्रावास के सामने आते थे या नहीं. परन्तु छात्रावास के कर्मचारियों ने जिनका कु. जैन द्वारा ही अपने पक्ष में परीक्षण किया गया है, यह आभास दिया है कि गत वर्षों में होली किस प्रकार मनाई जाती थी.

7. मलथूराम (ग्रुप क्रमांक 1 साक्षी क्र. 3) महिला छात्रावास में गत 20 वर्षों से कार्यरत है. उसका कथन है कि प्रतिवर्ष होली के अवसर पर छात्रावास की लड़कियां छात्रावास के अन्दर पानी में घोले रंगों से होली खेलती रही हैं. लड़के भी दलों के रूप में वहां कम्पाउन्ड के फाटकों में से एक से कम्पाउन्ड में आते थे तथा छात्रावास भवन के समक्ष नाच गाकर कम्पाउन्ड के दूसरे फाटक से वापिस चले जाते थे. उसके अनुसार लड़कों ने वहां न किसी को गालियां दी और न अपशब्द कहे. बेनीबाई (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 4) एवं जानकी बाई (ग्रुप क्रमांक 1 साक्षी क्र.6) जो दोनों छात्रावास की पुरानी सेविकाएं हैं, ने भी यही कहा. श्रीमती सिन्दूरानी चटर्जी (ग्रुप क्रमांक 1 साक्षी क्र. 8) जो सन् 1964 से छात्रावास की अधीक्षिका हैं, का भी कथन है कि होली के अवसर पर प्रतिवर्ष छात्रों के दल आते रहे हैं तथा वे नाच गाकर वापिस चले जाते थे. उन्होंने कभी भी कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया है. प्राफेसर सी. एस. चौहान (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 11) का कथन है कि उन्होंने घटना के दिन महिला छात्रावास की ओर से शोर की आवाज अवश्य सुनी थी परन्तु उन्होंने इसे असामान्य नहीं माना क्योंकि प्रतिवर्ष होली के दिन इसी प्रकार शोर हुआ करता था. डा. एस. एन. शर्मा (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 14) भेषजी विभाग के, जिसमें कु. स्नेहरानी जैन सहायक प्राध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं. उनका अपने साक्ष्य की कंडिका 4 में कथन है कि प्रतिवर्ष लड़कों के समूह होली के दिन छात्रावास जाते थे व कुछ देर वहां ठहरकर वे चले जाते थे. मैं इस संबंध में अन्य सक्षियों के कथनों को और जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उपरोक्त सभी साक्षी जिनके कथनों की उपर्युक्त विवेचना की गई है, वे साक्षी हैं जिन्हें डा. स्नेहरानी जैन स्वयं ने साक्ष्य में परीक्षण किया है. इस संबंध में 1965 से 1971 अर्थात लगातार 7 वर्षों के दैनिक रिपोर्ट रजिस्टर का उल्लेख करना लाभदायक होगा. ये रिपोर्टस् छात्रावास के प्रिफेक्ट या अधीक्षक द्वारा लिखी गई हैं और वे यह बतलाती हैं कि प्रति वर्ष लड़कों के समूह महिला छात्रावास आते थे तथा नाचने गाने के पश्चात् वे चुपचाप वहां से चले जाते थे. यह एक सामान्य बात थी. अतएव इस वर्ष होली के दिन अर्थात् 19-3-1973 को, कम्पाउन्ड के भीतर जाने वाले लड़कों के समूहों के कार्य कलाप उपरोक्त प्रकार के ही थे तो उनके वहां जाने और नाचने एवं गाने को दुर्व्यवहार नहीं कहा जा सकता और उस पर कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती.

8. अब हम यह देखेंगे कि क्या उन लड़कों ने जो होस्टल के प्रांगण में घुसे थे, कोई ऐसे कार्य किये जो उन पर आरोपित हैं. आगे बढ़ते हुए, यहां पर मैं केवल इतना उल्लेख कर दूं कि प्रारंभिक प्रेस रिपोर्टों ने अर्थात् 26,27 और 28 मार्च 73 को प्रकाशित समाचारों ने, लड़कों द्वारा किये गये तथाकथित तोड़फोड़ आदि का बहुत ही भयंकर चित्र प्रस्तुत किया था और उनमें यह भी प्रकाशित किया गया था कि लड़के, छात्रावास के भवन के अन्दर लड़कियों का शीलभंग करने के अभिमत से अथवा उन्हें शर्मिन्दा करने के अभिमत से जाने हेतु, छात्रावास का सिकुड़ जाने वाला (लोहे का) मुख्य द्वार तोड़ना चाहते थे. उनमें यह भी कहा गया था कि कुछ लड़कियां अपने सम्मान की रक्षा के लिये कूद पड़ने के लिये छत पर भी चली गई थीं और वार्डन कु. जैन ने वीरतापूर्वक इस भीषण परि-स्थिति का सामना किया एवं लड़कियों को बचाया. इस प्रकार की प्रारंभिक रिपोर्टों का पूरा उत्तर-दायित्व कुमारी जैन को ही लेना पड़ेगा क्योंकि, जैसा कि उनके द्वारा स्वीकार किया गया, राज्यपाल महोदय से मिलने के पश्चात् वह 24 या 25 मार्च को प्रेस के संवाददाताओं भी मिलीं और निवेदिता छात्रावाह में होली के असवर पर हुई घटनाओं के बारे में बतलाया. इसके दूसरे दिन ही, अर्थात् 26 से ही सनसनीपूर्ण समाचार प्रेस में प्रकाशित होना आरंभ हुए. इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वे समाचार केवल वार्डन कुमारी जैन द्वारा दिये गये विवरण पर ही आधारित थे. जैसा कि हम शीघ्र ही देखेंगे, यह सब न केवल अतिशयोक्ति थी, तथ्यों को पूर्णरूप से तोड़-मरोड़ कर रखना था.

9. यह सुस्पष्ट है कि होली के अवसर पर लड़कों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली प्रमुख व्यक्ति कुमारी स्नेहरानी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं निवेदिता छात्रावास की तत्कालीन वार्डन है. वही

तत्कालीन उप-कुलपति डाक्टर ईश्वरचन्द्र एवं लड़कों के एक ग्रुप पर जिसका मुखिया उत्तम खटीक था, इस जांच के पूर्व एवं जांच में प्रहार करने में अग्रणी रही. उसने इस आयोग के समक्ष अपना विवरण एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया था. जांच की कार्यवाही के दौरान उसने अपने पक्ष में एवं विपक्ष की बातों के काट स्वरूप, कई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये एवं उन साक्षियों को, जिन्होंने उसके पक्ष का समर्थन नहीं किया, जकड़कर प्रति-परीक्षण किया है. अतएव मैं प्रोफेसर स्नेहरानी जैन की साक्ष्य को ही पहले लेता हूं.

10. वार्डन कुमारी स्नेहरानी जैन ने अपने लिखित विवरण में तीन बातें, जो उनके अनुसार दुर्व्यवहार की परिभाषा में आती हैं, गिनायी थीं वे हैं :—

(i) लड़के अवैध रूप से दो बार (होस्टल के प्रांगण में) घुसे और उन्होंने वार्डन एवं अन्तःवासियों को गन्दी गालियां दीं.

(ii) (लड़कों ने) सिकुड़ने वाला फ़ाटक तोड़कर घुसने का प्रयत्न किया, खिड़कियों पर पत्थर फेंके एवं कर्तव्यरत चपरासी को पीटा.

(iii) नारीवेशधारी एक लड़के ने, अन्य लड़कों के साथ मिलकर घृणित हावभाव प्रकट किये.

यहां यह स्पष्ट रूप से नोट कर दिया जावे कि अपने लिखित विवरण में वार्डन कु. स्नेहरानी जैन ने उन गंभीर आरोपों की चर्चा नहीं की, जो प्रेस में प्रकाशित हुई थीं, कि लड़कियां अपने सम्मान की रक्षा के लिये कूद पड़ने के लिये छत पर दौड़ पड़ी थीं. उसके शपथ पत्र में भी इस बात का तनिक भी संकेत नहीं है. वार्डन कु. स्नेहरानी जैन की एकमात्र समर्थक कुमारी मंजीत रंधावा (ग्रुप क्रमांक 1 साक्ष्य क्रमांक 16)—एक रिसर्च स्कालर है जो स्थायी सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रीमती चटर्जी की अनुपस्थिति में सुपरिन्टेंडेंट का कार्य कर रही थीं. कुमारी मंजीत रन्धावा के शपथपत्र का अवलोकन यह बतलावेगा कि उसमें प्रेस द्वारा उछाली गयी उस कथा की जिसमें लड़कियों की दयनीय अवस्था एवं उनकी छत से कूद पड़ने की तैयारी का उल्लेख है, तनिक भी संकेत नहीं है. कुमारी मंजीत रन्धावा ने 19-3-1973 की दैनिक रिपोर्ट होली की घटना के बाद लिखी थी, और उसमें भी लड़कियों के उपरोक्त रूप से भयभीत हो जाने का कोई उल्लेख नहीं है. यह रिपोर्ट ग्रुप क्रमांक 1 का प्रदर्श क्रमांक 2 है और यह 19-3-1973 को बहुत रात बीतने के पश्चात् दूसरे दिन अर्थात् 20-3-1973 को ही लिखी गयी है क्योंकि इसमें यह उल्लेख है कि वार्डन काफी रात तक होस्टल में रहीं. इस समय तक की कहानी भिन्न थी परन्तु उन घटनाओं के बाद जिनकी समाप्ति वार्डन स्नेहरानी जैन के त्यागपत्र के रूप में हुई वह अतिशयोक्तियों और असत्यताओं का मुलम्मा लगा कर, जिससे कि वह सनसनीपूर्ण हो जावे, चमकायी एवं उछाली गयीं. यह प्रतीत होता है कि यह झूठी कहानी, भोपाल में, डाक्टर ईश्वरचन्द के विरुद्ध, जिन्होंने कि 22 तारीख को वार्डन स्नेहरानी जैन का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया था, और जो, मिस जैन के कथनानुसार, परिस्थितियों को देखते हुये, अनुचित था, वैयक्तिक तकरार का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से फैलाई गयी थी.

11. अब हम वार्डन कुमारी स्नेहरानी जैन द्वारा प्रस्तुत उस मौखिक साक्ष्य की विवेचना करें जो उसके लिखित विवरण में बताये गये तीन विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत की गई है. उसके लिखित विवरण से और मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस वर्ष, पिछले वर्षों की सामान्य परिपाटी के विरुद्ध उसने छात्रों को होस्टल के क्षेत्र में आना स्पष्ट रूप से निषिद्ध कर दिया था एवं कम्पाउन्ड के दोनों फाटकों पर चौकीदार लगा दिये थे. लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न में वह कुमारी विमला गुरू एवं अन्य लड़कियों के साथ छात्रावास की छत पर पर्यवेक्षण हेतु एवं कदाचित अपने द्वारा सुरक्षा प्रबन्धों की जांच हेतु गई. उसका कथन है कि उसने कुछ लड़कों को जिनमें एक उत्तम खटीक था, प्रांगण के पश्चिमी द्वार से अन्दर आते हुये देखा. उसने शिवप्रसाद चौकीदार (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 9) को, लड़कों को द्वार पर ही रोकने के लिये सावधान किया. लड़कों ने उपरोक्त आदेश की अवहेलना की और जैसा कि वार्डन कुमारी जैन का कथन है, उन्होंने छात्रावास की सीमा के भीतर घुस कर वहां के कुछ सेवकों का, कुछ लड़कियों

एवं उसका स्वयं का नाम लेकर अश्लील और गंदी गालियां जोर-जोर से देना आरंभ किया. कुछ समय के पश्चात् यह समूह दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया.

12. चौकीदार शिवप्रसाद, जिसका परीक्षण डा. कुमारी जैन द्वारा किया गया है, स्पष्ट शब्दों में प्रतिपरीक्षण में अपने साक्ष्य की कंडिका 5 में उपरोक्त आरोपों को असत्य बतलाता है. उसने बल देकर यह कहा है कि इन लड़कों ने किसी का नाम लेकर कोई अश्लील शब्द नहीं कहे.

13. कु. सुखबलराज (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 10) जो घटना के समय छात्रावास में, कुछ दिनों के लिय अन्तःवासी के रूप में, निवास कर रही थी और जो वार्डन कु. जैन के अनुसार, उसको आरंभ से अन्त तक समर्थन करती हैं, ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि लड़कों के समूह ने कोई गालियां नहीं दी और वे 5-6 मिनिट तक गाने-नाचने के पश्चात् छात्रावास क्षेत्र से चले गये थे. कु. मृदुला वर्मा (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 17) जो छात्रावास की नियमित अन्तःवासी हैं तथा शांतीबाई (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 21) जो छात्रावास में सफाई का कार्य करती है तथा जिनका कु. जैन द्वारा परीक्षण किया गया है, दोनों यही बात कहती हैं.

14. इस घटना के बारे में विरोधी कथन केवल कु. मंजीत रन्धावा द्वारा ही किया गया है और सभी साक्षियों में केवल वही एकमात्र साक्षी है जो वार्डन कुमारी जैन का समर्थन करती दिखती हैं. अपने साक्ष्य के प्रारंभिक भाग में उसने कुमारी जैन के शब्दों को ही प्रतिध्वनित किया है. परन्तु उसकी सहयोगी तथा प्रिफेक्ट कु. विमला गुरू द्वारा प्रश्न करने पर उसने स्वीकार किया है कि उसने स्नेहरानी जैन का नाम लड़कों द्वारा लेते हुये नहीं सुना और वह लड़कों द्वारा गाये गये गानों का अर्थ नहीं समझ सकी. (उसके साक्ष्य की कंडिका 11 देखें). मुझे यह स्पष्ट है कि यद्यपि लड़कों को वार्डन द्वारा किये गये उस आदेश से कि जिसके द्वारा उन्हें कम्पाउन्ड के अन्दर आने में रोका गया था, बुरा लगा हो,. उन्होंने होली खेलने की, पिछले वर्षों की ही, परिपाटी अपनाई और होली के समय जो तुक बंदियां सामान्य रूप से बनाई व गाई जाती हैं उन्हें गाकर एवं ढोलक बजाकर उसके साथ में नाचकर वे उस स्थान से चले गये. यह संभव है कि इनमें से कुछ गीतों में उन्होंने वार्डन कु. जैन का नाम भी जोड़ दिया हो. कु. विमला गुरू तथा अन्य कुल लड़कियां, जिनका मेरे समक्ष परीक्षण हुआ है, यह कहती हैं कि इस वर्ष होली अथवा अन्य किसी अवसर पर लड़कों ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया. मुझे यह भी स्पष्ट है कि लड़कों पर, इस वर्ष दुर्व्यवहार करने का आरोप पूर्णतया असत्य है.

15. डाक्टर कु. जैन द्वारा अपने कथन में दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि लड़कों के दूसरे समूह ने, जो 1.00 या 1.30 बजे अपराह्न में आया "सिकुड़ जाने वाले गेट को तोड़कर छात्रावास के भीतर घुसने का प्रयत्न किया खिड़कियों पर पत्थर फेंके एवं कर्तव्यरत भृत्य को पीटा."

16. डाक्टर कु. जैन ने रात्रि के 9 बजे उपकुलपति को एक पत्र भेजा था. यह पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं उसकी प्रति प्रदर्श 1-जी-9 है. वार्डन द्वारा इस पत्र पर 118 लड़कियों के हस्ताक्षर करवाये गये थे. वार्डन कु. जैन ने इस प्रलेख को बहुत महत्व दिया है और मेरे समक्ष आये हुए बहुत से प्राध्यापकों से यह प्रश्न किया है कि क्या वे यह समझते हैं कि य पत्र पूर्णरूप से असत्य है. इस प्रकार लड़कियों के हस्ताक्षर प्राप्त करके पत्र भेजना बहुत ही असामान्य है और ऐसा करना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह पत्र प्रचार करने की मंशा से प्रेरित होकर भेजा गया था. इस पत्र के प्रारम्भिक भाग में उत्तम खटीक एवं उसके समूह द्वारा उपद्रव करने का उल्लेख है परन्तु इस पत्र का मुख्य उद्देश्य रात्रि में चौकसी के लिये पुलिस की सहायता मांगना था. उप-कुलपति ने इस पत्र को इसी अर्थ में लिया था और उस पर यह लिखा कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस की सहायता मांगी जावे. वास्तव में, किसी पुलिस सहायता की न आवश्यकता पड़ी और न थी. वार्डन कु. जैन द्वारा, लड़कियों के समक्ष, उनकी स्वयं की अनुपस्थिति में, उन पर आने वाली विपदा की छाया का भयप्रद चित्र खींचा गया एवं उन्हें भयग्रस्त कर असहायता की स्थिति में लाया गया. जो लड़कियां मेरे समक्ष उपस्थित हुई हैं उन सभी के कथनों का उल्लेख करना इस रिपोर्ट का आकार अनावश्यक रूप से बढ़ाना होगा परन्तु मुझे स्पष्ट है कि यह तो लड़कियों ने,

वार्डन द्वारा उन पर दबाब डालने के कारण ही उपरोक्त पत्र पर हस्ताक्षर किये (कु. ज्योत्सना के कथन की कंडिका 13 देखें) अथवा उन्होंने उसके प्रभाव में आकर ऐसा किया, क्योंकि वे वास्तव में यह महसूस करने लगी थीं कि रात्रि में वार्डन की अनुपस्थिति में होस्टल पर नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जावेंगी. कुमारी स्नेहरानी जैन के स्वयं के साक्ष्य की कंडिका 17 दर्शाती है कि उसने लड़कियों का समर्थन, रात्रि को पुलिस की व्यवस्था प्राप्त करने के लिये ही, प्राप्त किया था. लड़कियों ने भी इस पत्र को इसी रूप में लिया और अब वार्डन कु. जैन का, लड़कियों को, इस पत्र के प्रारंभिक भाग से, जिसमें कि उत्तम खटीक और अन्यों का उल्लेख है, बांधना अशोभनीय है. मैं यहां कु. मन्जीत रन्धावा के कथन की कंडिका 6 के एक वाक्य को उद्धृत कर देना ही पर्याप्त समझता हूं. उसने कहा है कि जब वार्डन ने लड़कियों से यह पूछा कि क्या वे उप-कुलपति को भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन देंगी तो—" लड़कियां चुप रह गयीं ".

17. इससे यह स्पष्ट होगा कि कुमारी जैन द्वारा लिखा गया तथा छात्राओं की बड़ी संख्या द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, मुख्य रूप से रात के समय पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिये था, तथा लड़कियों ने भी इसे इसी रूप में समझा था. उन्होंने यह जानने का कष्ट नहीं किया कि पत्र में और क्या लिखा था और उन्होंने उस भाग में लिखी गई बातों में (वार्डन को) समर्थन नहीं दिया. फिर कु. जैन द्वारा रात्रि के समय, लड़कों द्वारा आक्रमण का काल्पनिक भय उन्हें दिखलाया गया था तथा लड़कियों ने इस भय के प्रभाव में आकर उस पर हस्ताक्षर किये. उपरोक्त कारणों से मैं यह विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह पत्र दिन में हुई घटना या घटनाओं का सही विवरण देता है.

18. बाद में, लड़कियों ने प्रेस को एक रिपोर्ट देकर उस कहानी का खंडन किया जो समाचार पत्रों ने वार्डन कु. जैन के कथन से प्रेरित होकर प्रकाशित की थी. यह प्रलेख वार्डन कु. जैन द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है और इसे प्रदर्श 1-जी-10 अंकित किया गया है. कु. ज्योत्सना सिंग से इसके बारे में पूछा गया था और उसने स्वीकार किया है कि इसी प्रकार का पत्र सभी लड़कियों द्वारा हस्ताक्षर करके प्रेस को भेजा गया था. इससे स्पष्ट होगा कि लड़कियों ने वार्डन द्वारा 19-3-1973 को भेजे गये पत्र (प्रदर्श 1-जी-9) से सहमति व्यक्त नहीं की थी.

19. जहां तक इस विषय पर मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, वार्डन कु. जैन केवल कु. सुखबलराज (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 10), कु. मन्जीत रन्धावा (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 16) तथा डा. एच. एल. गुप्ता (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 18) से बहुत ही कमजोर समर्थन प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्यथा असमर्थित खड़ी है. उसके द्वारा परीक्षित अन्य कोई साक्षी या कोई अन्य ग्रुप ऐसा कोई कथन नहीं करता जिससे विदित होता हो कि लड़कों के किसी दूसरे समूह ने कोई अविचारपूर्ण अथवा गन्दे प्रदर्शन किये. वार्डन कु. जैन ने अपने साक्ष्य की कंडिका 7 में यह प्रकट किया है कि जब वह स्वयं छात्रावास के अन्य अन्त: वासियों के साथ में उसके भीतरी प्रांगण में होली खेल रही थी तो किसी लड़की ने यह कहा था कि लड़के आ गए हैं. इस पर वार्डन कु. जैन ने लड़कियों को बरान्डा तथा भोजनालय के दरवाजे बंद करने के लिये निर्देश दिया था. इस समय तक किसी भय का कोई कारण नहीं था और न वार्डन के कथन में लड़कों द्वारा कोई भयप्रद कृत्य करने का उल्लेख है. वार्डन कु. जैन ने फिर बरान्डे के दरवाजे की एक दरार से झांक कर देखा कि 10–12 लड़के भवन के सिकुड़ने वाले लोहे के दरवाजे को झंझोड़ रहे थे. मैंने स्वयं ने स्थल निरीक्षण के समय इस दरार को देखा है और पाया है कि उसमें से दो तीन व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को नहीं देखा जा सकता है. उसके (कु. जैन के) अनुसार, प्रिफेक्ट कु. विमला गुरू ने यह टिप्पणी की कि इस समय जो लड़के आये हैं उनमें से कुछ छात्रावास में रहने वाली लड़कियों के भाई अथवा सम्बन्धी हैं. यह ध्यान देने योग्य बात है कि डाक्टर कु. जैन के अनुसार भी लड़कियों ने खुशियां मनाना चालू रखा था एवं वे भीतरी प्रांगण में ड्रम अथवा टीन बजा रही थीं. वार्डन कु. जैन ने अचानक अपना संतुलन खो दिया एवं कु. सुषमा जैन (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 26) नामक लड़की को चांटा मार दिया. वार्डन कु. जैन के अनुसार एक लड़की ने ये शब्द कहे थे "Madam I shall prefer dying rather than falling in their hands" यह आश्चर्यजनक है कि वार्डन कु. जैन को न तो इस लड़की का नाम याद है और न उसके द्वारा इस लड़की को आयोग के समक्ष उपस्थित ही किया गया है. यह विश्वास करना असम्भव है कि कु. जैन को, जिन्होंने अन्यथा छोटी-छोटी बातों को भी

चित्रित करने की अपनी स्मरण शक्ति का परिचय दिया है, इस महत्वपूर्ण साक्षी का नाम याद तक नहीं रहा. यह विश्वास करना भी असम्भव है कि कु. जैन जो जांच की अवधि में अत्यंत साधन सम्पन्न पाई गई, इतने मासों की अवधि के बाद भी उक्त छात्रा का नाम नहीं जान पाई. यद्यपि यह पुनरावृत्ति होगी फिर भी मैं यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि कु. जैन ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि लड़कियां या उनमें से कुछ अपने सम्मान की रक्षा के लिये अत्यन्त निराश होकर छत की ओर दौड़ गई थी.

20. श्री गोपीलाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता द्वारा, प्रतिपरीक्षण किये जाने पर डाक्टर कु. जैन ने यह स्वीकार किया है कि वह "खोलो तोड़ो" शब्दों के अतिरिक्त एवं उसके स्वयं के नाम के अतिरिक्त और कुछ सुन नहीं पाई. उसके अनुसार ,भृत्य सरजूप्रसाद तब उपस्थित था और लड़कों ने उसके साथ में बल-प्रयोग किया था. उसने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं ने पत्थर फिकते हुये अथवा खिड़कियों के कांच टूटते हुये नहीं देखे.

21. सरजूप्रसाद का परीक्षण वार्डन कु. जैन ने ही करवाया है. वह ग्रुप क्रमांक 1 का साक्षी क्रमांक 2 है. उसके अनुसार लगभग दोपहर के समय 20–25 लड़के छात्रावास के कम्पांउण्ड के भीतर आये. किन्तु उन्होंने उससे कोई बात नहीं की और न किसी ने उसपर कोई आक्रमण ही किया. उन्होंने उससे केवल पानी की मांग की थी. उसने किसी को पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा. उसने केवल यह देखा था कि तीन चार लड़के सिकुड़ने वाले द्वार को हिला रहे थे जबकि शेष नाच रहे थे. (उसके कथन कंडिका 4 देखें) . उसका कथन है कि वह यह नहीं समझ सका कि उस समय लड़के जो गा रहे थे वे गीत थे अथवा गालियां थीं. यह साक्षी सिकुड़ने वाले दरवाजे अथवा खिड़कियों के कांचों में हुई किसी क्षति का भी उल्लेख नहीं करता. उसने लड़कों द्वारा किये गये ऐसे किसी अपमानजनक कृत्य का उल्लेख नहीं किया है जो किसी के मस्तिष्क में कोई भय उत्पन्न करने वाला था. यह स्पष्ट है कि यदि छात्रावास के इस पुराने और विश्वसनीय भृत्य को ऐसा प्रतीत होता कि लड़कियों की सुरक्षा खतरे में है तो वह अवश्य हो, सौ गज या इससे भी कम दूरी दौड़कर प्राक्टर, रेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ प्राध्यापकों को, जो छात्रावास के चारों ओर रहते हैं, छात्रावास पर आई इस विपत्ति की सूचना देता.

22. अब कु. सुखबलराज (ग्रुप क्र. 1) को लें. उसका कथन है कि लगभग 1.00 या 1.30 बजे अपरान्ह में 8–10 लड़कों का एक समूह छात्रावास के कम्पाउड के अन्दर आया. उन्होंने सिकुड़ने वाले गेट को झझोड़ा जिससे वह थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था. उसका यह भी कथन है कि लड़कों ने कामन रूम की खिड़कियों पर पत्थर फेंके एवं कांच तोड़ डाले. इस साक्षी के अनुसार, वार्डन ने उसे एक या दो लड़कियों के साथ में छत पर जाकर एक कैमरे से लड़कों के कुछ फोटो लेने के लिये कहा. यह साक्षी छत पर गई तथा इसने चार फोटो लिये. (कोई फोटो प्रस्तुत नहीं हुये हैं). सुखबलराज का शांति पूर्वक ऊपर जाना एवं वहां फोटो लेने का कार्य इस कथन को कि, लड़कियों के मस्तिष्क में डर समा गया था, पूर्णतया निराधार बना देता है. कु. विमला गुरू द्वारा प्रति-परीक्षण किये जाने पर इस साक्षी ने यह कहा कि वह स्वयं कामन रूम में नहीं थी और उसने स्वयं ने कोई पत्थर खिड़कियों से टकराते नहीं देखे. उसने केवल कांच टूटने की आवाज सुनी थी. उसने यह स्वीकार किया है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि क्या लड़कियों ने कामन रूम से नीचे पोर्च के पास खड़े लड़कों पर रंग फेंका था और उसका केवल अनुमान है कि कांच लड़कों द्वारा पत्थर फेंकने से ही टूटे होंगे. अपने साक्ष्य की कंडिका 13 में उसने स्वीकार किया कि उसने स्वयं ने किसी लड़के को सिकुड़ने वाला द्वार झझोड़ते हुये नहीं देखा. उसने केवल कुछ लड़कियों को यह कहते सुना था कि लड़के द्वार हिला रहे हैं. इस लड़की ने यह कहीं नहीं कहा कि किसी अन्त:वासी ने यह कहा हो कि वह लड़कों के हाथ में पड़ने की अपेक्षा आत्महत्या करना पसंद करेंगी.

23 कु. चन्द्रिका (ग्रुप क्रमांक 1 सा. क्र. 13) जिसे भी वार्डन कु. जैन द्वारा ही परीक्षित किया गया है, प्रारम्भ में यह कहा कि उसने लड़कों को दरवाजे के बाहर कुछ ठोकते हुये देखा एवं इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं देखा. वार्डन कु. जैन द्वारा दबाव डालने पर उसने आगे यह कहा कि लड़के सिकुड़ने वाले द्वार को धक्का दे रहे थे. कंडिका 5 में उसका कथन है कि वह डर गई थी और उसने वार्डन से यह कहा कि लड़के कदाचित दरवाजा तोड़ दें. उसके पूरे कथन को देखते हुए यही निष्कर्ष निकालना उचित रहेगा कि उसने कुछ लड़कों को सिकुड़ने वाले दरवाजे को ठोकने के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा.

24. एक मात्र साक्षी जो कुछ मात्रा में डाक्टर कु. जैन का इस बात में समर्थन करती है—कु. मन्जीत रन्धावा (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 16) ही है. उसका कथन है कि दोपहर का समय था एवं वह अपने कमरे में सो रही थी कि उसकी नींद लड़कों के एक समूह द्वारा कोलाहल मचाने के कारण खुल गई. उसने तभी बाजू के कमरे के खिड़कियों के कांच के टूटने की आवाज सुनी. वह बराण्डे में आई और उसने वार्डन को सूचित किया कि पत्थर आ रहे हैं. फिर उसने लड़कों को चिल्लाते तथा सिकुड़ने वाले द्वार को हिलाते हुये सुना. उसने यह कृत्य वराण्डे के दरवाजे की दरार से देखा था. उसके इस कथन से यह स्पष्ट होगा कि उसने दूसरे ग्रुप के लड़कों द्वारा दी गई कोई गालियां अथवा अश्लील शब्द नहीं सुने क्योंकि उसने गालियों के दिये जाने के सम्बन्ध में केवल पहले आये हुए समूह के बारे में ही कहा है. यह लड़की स्वीकार करती है कि वह यह देखने के लिये नहीं गई कि बाजू के कमरे की खिड़की का कांच वास्तव में टूटा था या नहीं. अपने दैनिक रिपोर्ट प्रदर्श 1-जी-2 में उसने बाजू के कमरे का कांच टूटने का कोई उल्लेख नहीं किया है. कु. रन्धावा का यह भी कथन है कि वह भूमितल पर स्थित मंजिल के कक्ष क्र. १ में रहती थी. कु. पी. के सुसम्मा (ग्रुप क्र. 12 सा. क्र. 12.) जो प्रिफेक्टों में से एक है, का कथन है कि वह बाजू के कमरा नं. 2 में रहती थी. सुसम्मा ने अपने कमरे की खिड़की के किसी भी कांच के टूटने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा. अतः यह कहानी संदेहपूर्ण है.

25. प्रथम मंजिल पर स्थित कॉमन रूम की खिड़कियों के किसी भी कांच के टूटने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है. दैनिक रिपोर्ट प्रदर्श 1-जी-2 में कु. मन्जीत रन्धावा ने इन कांचों के टूटने का उल्लेख किया है, किन्तु उसने मेरे समक्ष हुई अपनी साक्ष्य में इस विषय पर कोई कथन नहीं किया. जैसी कि पहले विवेचना की जा चुकी है कु. सुखबलराज ने इस बारे में जो कहा है वह केवल अंदाज मात्र के आधार पर है. इसके विपरीत कु. मृदुला वर्मा एवं कु. ज्योत्सना सिंग का कथन है कि उन्होंने कामन रूम की खिड़कियों से लड़कों पर रंग डाला था और इसमें उनकी बाल्टियों से टकराने के कारण एक कांच टूट गया. अतः वह पत्थरों से नहीं टूटा था. वार्डन कु. जैन स्वीकार करती हैं कि उसे सूचना दी गई थी कि कुछ लड़कियों ने कामन रूम की खिड़कियों से रंग डाला था एवं मृदुला वर्मा उनमें से एक थी. इस प्रकार दो निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाले जा सकते हैं. एक तो यह कि लड़कों ने खिड़कियों पर न कोई पत्थर फेंके और न खिड़कियों के कांच तोड़े तथा दूसरा यह कि खिड़कियों के कांचों को जो थोड़ी बहुत हानि पहुंची थी वह लड़कियों द्वारा ही कामन रूम की खिड़कियों से रंग फेंकने के कारण हुई थी.

26. यहां यह नोट करना भी आवश्यक है कि कु. मन्जीत रंधावा ने अपनी साक्ष्य में किसी भयग्रस्त लड़की द्वारा यह कहने का, कि वह आत्महत्या करना पसंद करेगी, कोई उल्लेख नहीं किया है (जैसा कि वार्डन कु. जैन का कथन है). यह तथ्य कि लड़कियां स्वयं पोर्च के आसपास खड़े लड़कों पर पानी फेंक रहीं थीं, डा. कु. जैन एवं समाचार पत्रों में छपे उन कथनों को, जो यह कहते हैं कि लड़कियां भयग्रस्त हो गई थीं तथा होस्टल के अन्दर भगदड़ मच गई थी, नष्ट कर देता है.

27. मैं अब सारांश में डा. एच. एल. गुप्ता के साक्ष्य की विवेचना करूंगा. वे विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्राध्यापक हैं. उनका कथन है कि लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में उन्होंने निवेदिता होस्टल की ओर से शोर आता हुआ सुना, और कुछ लड़कियों को असामान्य तेजी से छत पर इधर उधर जाते हुये देखा. इसके पश्चात् लगभग एक बजे अपराह्न में उन्होंने पुनः निवेदिता छात्रावास की दिशा से शोर आता हुआ सुना. दूसरी बार का शोर अधिक था. उनके अनुसार, उन्होंने लड़कियों की चीखें नहीं सुनी किन्तु यह अनुमान लगाया कि छप पर लड़कियां व्याकुल थीं. श्रध्देय प्राध्यापक के लिये मेरे मन में आदर-भाव रहते हुये भी मुझे यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि उन्होंने अपनी कल्पना को अनावश्यक उड़ान दी है. जब पहली बार लड़के आये थे तब लड़कियों के साथ में वार्डन कु. जैन स्वयं भी छत पर थीं और उन्होंने किसी मौके पर यह नहीं कहा कि उस समय लड़कियों में किसी प्रकार की घबराहट या उत्तेजना थी. वे कारण जिन्होंने डा. गुप्ता को यह अनुमान लगाने के लिये कि लड़कियां पहली या दूसरी बार घबराई हुई या उत्तेजित थीं, बाध्य किया उनको स्वयं को ही अच्छी तरह ज्ञात होंगे, परतु वार्डन कु. जैन सहित अन्य साक्षियों की साक्ष्य से उनके उपरोक्त कथन का समर्थन नहीं होता.

28. डा. गुप्ता का, बाद का आचरण भी छात्रावास की ओर से शोर आने के उनके बतलाये गये कारण से मेल नहीं खाता. कु. विमला गुरू ने पहले उनसे यह पूछा कि जब उनके स्वयं के अनुसार

वह शोर असामान्य था एवं लड़कियों में उत्तेजना दिखलाई देती थी, तो उनके द्वारा लड़कियों की सुरक्षा के लिये, कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई. इस पर उन्होंने एक क्षीण तर्क यह दिया कि वे विश्वविद्यालय की प्रशासक समिति के सदस्य अवश्य हैं परन्तु छात्रावास के कार्यकलापों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है. जब पुन: विमला गुरू द्वारा, उनके एक पदासीन व्यक्ति के रूप में भले ही नहीं किन्तु एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में इतनी लड़कियों को कठिनाई में देखकर भी कुछ न करने की उनकी अकर्मण्यता का कारण पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न को यह कहकर टाल दिया कि उन्होंने यह नहीं माना था कि कोई गम्भीर घटना हुई होगी, और यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता तो वे जांच के लिये छात्रावास अवश्य जाते. इस उत्तर के द्वारा वे अपनी उस पुरानी स्थिति पर वापिस चले गये जिसका उल्लेख उन्होंने अपने साक्ष्य की कंडिका 3 और 6 में किया था. अन्य वरिष्ठ उन प्राध्यापकों के साक्ष्य की अपेक्षा, कि जिनके बंगले छात्रावास के अधिक पास हैं, डा. गुप्ता के, जिनका बंगला अपेक्षाकृत दूर है, घटना के उपरोक्त मूल्यांकन को मानना संभव नहीं है.

29. सिकुड़ने वाले द्वार एवं खिड़कियों के कांच को क्षतिग्रस्त करने के बाद तनिक भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है. छात्रावास के नौकरों एवं सामान्य रूप से सभी अन्त: वासियों ने सिकुड़ने वाले द्वार अथवा खिड़कियों के कांचों को क्षति की बात अस्वीकार की है. यदि वास्तव में इस प्रकार की कोई क्षति होती तो वार्डन विश्वविद्यालय की यांत्रिक विभाग को इसकी रिपोर्ट अवश्य भेजती. इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई और न इस आरोप की पुष्टि के लिये यांत्रिक विभाग का कोई रिकार्ड बुलाया गया. वार्डन कु. जैन सरलता से यांत्रिक को बुलाकर आयोग के समक्ष परीक्षण भी कर सकती थीं एवं मरम्मत आदि के बाबत आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये कह सकती थीं. उसने उसे आहूत नहीं करवाया. अपने पक्ष में उसने एक काल्पनिक तर्क यह दिया कि गेट को, रात्रि के समय, चुपचाप सुधार दिया गया होगा. उसका समर्थन करने वाली कु. सुखबलराज एवं मन्जीत रन्धावा को मिलाकर किसी भी लकड़ी से सिकुड़ने वाले गेट अथवा खिड़कियों के कांच की मरम्मत के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया है. जब मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तो द्वार में कोई क्षति नहीं पाई गई.

30. मैं वार्डन कु. जैन द्वारा, लड़कों द्वारा, सिकुड़ने वाले द्वारा को हिलाने के कृत्य पर जोर डालने की बात को नहीं समझ सका. मैं केवल यही निश्कर्ष निकाल सकता हूं, और कादचित भोपाल में प्रेस ने भी यह निष्कर्ष निकाला था, एवं वह यह कि लड़के इस सिकुड़ने वाले द्वार को तोड़कर बलपूर्वक छात्रावास के अन्दर घुसना चाहते थे. भवन को सरसरी रूप से ही देखने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह पक्षपात पूर्ण न हो, इस प्रकार की तरंग पूर्ण सम्भावना की कल्पना नहीं कर सकता. छात्रावास के भीतर बलपूर्वक घुसने के लिये इस मजबूत लोह-द्वार के अतिरिक्त और कई अधिक कमजोर स्थान हैं. इस द्वार के बाजू की दीवाल में एक सजावट पूर्ण जाली है. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जालीदार दीवार बिना अधिक प्रयास के तोडी जा सकती थी. छात्रावास के बाहरी कमरे में, जिसे टेलीफोन के कक्ष के रूप में काम में लाया जाता है, आड़ी छड़ें लगी हुई कांच की खिड़कियां हैं, और ये छड़ें इतने अंतर से लगी हुई हैं कि कोई भी इन कांचों को तोड़कर छात्रावास के अन्दर के इस फोन वाले कमरे में घुस सकता है. इसी प्रकार छात्रावास का दक्षिणी भाग इस प्रकार बना हुआ है कि कोई भी बिना किसी प्रयास के दक्षिणी बरान्डे की खिड़कियों से अन्दर घुस सकता है. सारांश में, होली के दिन वास्तव में यदि लड़कों का उद्देश्य छात्रावास के भीतर घुसने का होता तो असम्भव को करने के प्रयत्न में सिर पचाकर, अर्थात् दिन के प्रकाश में सिकुड़ने वाले दरवाजे को तोड़कर छात्रावास में घुसने का प्रयत्न करने में, वे अपनी शक्ति निरर्थक रूप से व्यय नहीं करते. कोई भी, जिसमें तनिक भी सामान्य ज्ञान है, यह नहीं सोच सकता. अत: उपरोक्त सुझाव विकृत एवं हास्यस्पद है. लड़कों का दरवाजे को ठोकना या पीटना नाचने के साथ लय मिलाने के लिये भी हो सकता था, एवं लड़कियों का, जिन्होंने कि वार्डन के आदेश पर बरान्डे का दरवाजा बंद कर दिया था, ध्यान आकर्षित करने के लिये भी.

31. इस प्रकार के परिश्रम पूर्वक बनावटी, असंगतियों से पूर्ण एवं अर्धचित्त से दिये हुए कु. सुखबलराज, कु. मन्जीत रन्धावा, डा. एच. एल. गुप्ता के साक्ष्य एवं अत्यन्त अभिरुचि रखने वाली वार्डन कु. जैन के कथनों के विपरीत उस प्रत्यक्ष तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य का बाहुल्य है जो यह दर्शाता है कि लड़कों द्वारा अश्लील गालियां लड़कियों को देने का, पत्थरों से खिड़कियों के कांच तोड़ने का एवं सिकुड़ने वाला द्वार तोड़ने के प्रयत्न करने का आरोप असत्य है.

32. मैंने सरजूप्रसाद (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 2) मृदुला वर्मा और सुषमा . जैन (ग्रुप क्रमांक 1 के साक्षी क्र. 17 व 26) की साक्ष्य का उल्लेख पहले किया है. ये साक्षी घटना के समय छात्रावास में उपस्थित थे तथा इन्हें वार्डन कुमारी जैन द्वारा ही उपस्थित करवाया गया था. इन्होंने अस्वीकार किया है कि लड़कों ने किसी को गालियां दी, पत्थर फेंके अथवा सिकुड़ने वाले द्वार को इतने जोर से हिलाया कि जिससे उनके कोई बुरे इरादे मालूम पड़ते हों. ग्रुप क्रमांक 2 की साक्षी कु. विमला गुरू (जो उन दिनों एक वरिष्ट प्रिफेक्ट थीं), कु. सुसम्मा (जो उस समय एक प्रिफेक्ट थीं और अब विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र की सहायक प्राध्यापिका है), कु. शशि बरेजा, कु. अनुश्री दत्ता, कु. कुन्ती जलाली, कु. स्वागता सैनी, कु. नालन्तिका एवं छात्रावास की एक अन्य प्रिफेक्ट, कु. ज्योत्सना सिंग (ग्रुप क्र. 3 की साक्षी) सभी ने दृढ़ता पूर्वक वार्डन कु. जैन द्वारा लड़कों पर लगाये गये तथा कथित दुर्व्यवहार के आरोप को अस्वीकार किया है. इन सब लड़कियों का कथन है कि उन्होंने हमेशा के अनुसार होली खेली एवं त्यौहार की खुशियां मनाई. किसी तरफ कोई भय नहीं था, होली खेलने के पश्चात् वे भोजनालय गई और वहां उन्होंने होली के भोज में भाग लिया. यह साक्ष्य जो यह दर्शाता है कि लड़कियों द्वारा पूरे दिन होली मनाई गई, इस अकारण आरोप को, कि लड़के सभ्यता के सभी मापदण्डों को भूलकर पागल एवं हिंसात्मक हो गये थे, असत्य ठहराता है.

33. श्रीमती बेनीबाई, श्रीमती हल्की बाई, श्रीमती रामबाई एवं श्रीमती शान्तिबाई का, जो सभी छात्रावास की नौकर हैं एवं घटना के समय छात्रावास में उपस्थित थे, तथा भोजनालय के नौकर स्वामी का यह कथन है कि वे होली के दिन दोपहर के समय होस्टल में उपस्थित थे परन्तु उन्होंने कोई गालियां नहीं सुनी न ऐसा कोई दुष्कृत्य देखा जिससे छात्रावास के अन्तः वासियों में भय या घबराहट उत्पन्न हुई हो. वस्तव में उन्होंने कोई असामान्य बात नहीं देखी. ये सभी साक्षी वार्डन कु. जैन द्वारा उपस्थित किये गये थे. इनमें से कुछ ने कु. जैन का समर्थन करते हुए शपथपत्र भी प्रस्तुत किये थे किन्तु आयोग के समक्ष साक्ष्य में उन्होंने यह कहा कि वे अनपढ़ हैं और वार्डन ने शपथ पत्रों में लिखी बातों को उन्हें पढ़कर सुनाये बिना, उन पर उनके अंगूठे प्राप्त कर लिये थे. रामबाई (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 20) एवं शान्तिबाई (ग्रुप क्र. 1 साक्षी क्र. 21) की साक्ष्य देखें.

34. वार्डन कु. जैन के यह प्रस्तुत किया कि ये सभी साक्षी किसी के प्रभाव में आकर विरोधी बन गये हैं. वह व्यक्ति जो इस प्रकार साक्षियो को प्रभावित करने में रुचि रख सकता था तत्कालीन उप-कुलपति डा. ईश्वर चन्द्र ही हो सकते थे और यह सभी को ज्ञात है कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी थीं और उन्होंने विश्वविद्यालय एवं सागर शहर दोनों, मई के अन्त तक अर्थात इन साक्षियों के परीक्षण किये जाने के कई मास पूर्व, छोड़ चुके थे. वे अपने पद की शक्ति एवं गरिमा से वंचित हो चुके थे. इसलिये यह सोचना कि वे साक्षियों को अपने पक्ष में या वार्डन कु. जैन के विपक्ष में बोलने के लिये प्रभावित कर सकते थे, मूर्खतापूर्ण है.

35. इस स्थल पर मैं यह लिपिबद्ध करना उचित समझता हूं कि वार्डन कु. जैन ने ही, न कि पदमुक्त उप-कुलपति डा. ईश्वरचन्द्र ने, साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया. मेरे समक्ष दो पत्र प्रस्तुत किये गये हैं. एक पत्र मृदुला वर्मा द्वारा एवं दूसरा डा. ईश्वर चन्द्र द्वारा (यह भृत्य रामपाल को भेजा गया था) ये पत्र प्रदर्श 3-जी-1 तथा प्रदर्श 2-जी 10 है. वार्डन कु. जैन द्वारा इनको लिखना स्वीकार किया गया है. इन पत्रों द्वारा कु. जैन ने यह चाहा था कि साक्षी उससे मिलें या उसका पक्ष समर्थन करते हुए साक्ष्य अथवा विवरण दें. दोनों पत्र कु. जैन की विचारधारा के परिचायक हैं. और उसके द्वारा साक्षियों को प्रभावित करने अथवा उनसे झूठी साक्ष्य दिलवाने के प्रयत्न को स्पष्ट करते हैं. अतएव इस संभावना को, कि उसने अनपढ़ साक्षियों के शपथ पत्र, उनमें लिखित पूरी बातें उन्हें समझाये बिना प्राप्त किये थे, काल्पनिक कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता.

36. साक्षियों का तीसरा समूह उन प्राध्यापकों एवं विभागाध्यक्षों का है जो छात्रावास के पास गोलाकार मार्ग पर स्थित बंगलों में निवास करते हैं. वे डा. व्ही. सी. मिश्र, प्राक्टर, डा. एच. एल. गुप्ता एवं रसायन विभाग के अध्यक्ष डा. एस. एस. निगम (जिन सबका परीक्षण ग्रुप क्रमांक 1 अर्थात वार्डन कु. जैन द्वारा किया गया है), रेक्टर तथा शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डा. आत्मानन्द मिश्र

(जिनका परीक्षण ग्रुप क्रमांक 2 द्वारा किया गया है), पालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष डा. अमरेश्व अवस्थी, आंग्ल विभाग अध्यक्ष डा. मोहनलाल एवं प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष डा. के. डी. बाजपेयी (जिन सबका परीक्षण ग्रुप क्रमांक 3 द्वारा हुआ है) हैं. अब स्थल निरीक्षण के समय मैंने पाया कि इन उपरोक्त प्राध्यापकों के निवास गृह छात्रावास भवन से लगभग सौ गज की दूर पर स्थित है. इनके बंगले अन्य बंगलों की अपेक्षा छात्रावास के अधिक निकट है. डा. एच. एल. गुप्त को छोड़कर इन सभी वरिष्ट एवं उत्तरदायी प्राध्यापकों ने एक स्वर से यह कहा है कि उन्होंने निवेदिता छात्रावास की दिशा से आई किसी असामान्य आवाज को नहीं सुना जो चौंका देने वाली अथवा भय सूचित करने वाली आवाज के रूप में ली जा सकती. उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि यदि आरोपित घटना वास्तव में घटी होती तो यह असम्भव था कि वे उसे सुनने में अथवा उपद्रव को देखने में चूकते. उनका यह भी कथन है कि उनके निवास गृह (छात्रावास के) इतने पास हैं कि वे लड़कियों में तथा कथित भय अथवा घबराहट को लक्ष करने में चूक ही नहीं सकते थे.

37. छह अन्य प्राध्यापकों का भी परीक्षण किया गया है. वे डाक्टर अर्जुन मिश्रा (रीडर), डाक्टर राजेन्द्रराय (कामर्स विभाग के अध्यक्ष), डाक्टर गंगाधर झा (रीडर), डाक्टर प्रेमशंकर (सहायक प्राध्यापक), श्री दिनेश बिहारी त्रिवेदी (सहायक प्राध्यापक) एवं डाक्टर के. सी. वर्मा (रीडर) हैं. वे ग्रुप क्रमांक 3 के साक्षियों के रूप में उपस्थित हुए हैं और उनका वार्डन कुमारी जैन द्वारा विस्तृत प्रति-परीक्षण किया गया है. डा. कु. जैन द्वारा उनसे खास कर डाक्टर गंगाधर झा से, पूछे गये कुछ प्रश्न अत्यन्त आपत्तिजनक एवं अपमानजनक थे क्योंकि उन प्रश्नो के द्वारा (डाक्टर झा की) निवेदिता छात्रावास में रहने वाली पाल्य पर एवं एक अन्य लड़की पर कलंक लगाने का प्रयत्न किया गया. इन सभी प्राध्यापकों ने जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र (केम्पस) में ही रहते हैं, कहा कि 12.00 बजे दोपहर अथवा 1.00 बजे अपरान्ह तक वे विश्वविद्यालय क्षेत्र में ही मित्रों से मिलते रहे एवं बधाइयों का आदान प्रदान करते रहे. वे मुख्य रूप से निवेदिता छात्रावास को घेरने वाली गोलाकार मार्ग पर ही रहे परन्तु किसी भी समय उन्हें किसी स्थल पर कोई असामान्य घटना न सुनाई पड़ी न दिखी. लड़कों के समूह उनसे मिले अवश्य पर उनका व्यवहार बिलकुल ही शालीन एवं उचित रहा. उन्होंने यह भी कहा कि तारीख 22 मार्च तक भी उन्होंने किसी से होल के दिन निवेदिता छात्रावास पर हुई किसी अनुचित घटना नहीं सुनी. यह एक नकारात्मक साक्ष्य अवश्य है तो भी वार्डन कुमारी जैन द्वारा जमायी गयी एवं समाचार पत्रों द्वारा उछाली गयी कथा की असत्यता बताने वाला एवं उसको नष्ट करने वाला एक शक्तिशाली परिस्थिति जन्य साक्ष्य है.

38. दूसरी प्रमुख परिस्थिति यह है कि किसी अन्तःवासी के कोई माता पिता, भाई, कुटुम्बी अथवा स्थानीय पालक (कई लड़कियों के स्थानीय पालक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ही हैं) कमीशन के समक्ष यह कहने आगे नहीं आया है कि उसकी पुत्री, बहिन अथवा पाल्य ने कभी होली के दिन लड़कों के किसी अशोभनीय अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी. यदि वार्डन कुमारी जैन द्वारा आरोपित अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनायें वास्तव में घटी होतीं तो माता पिता अथवा पालकों में से कुछ अवश्य यह कहते या विश्वविद्यालय और जिले के अधिकारियों से इसकी शिकायत करते. इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी माता पिता अथवा स्थानीय पालक ने कभी इस प्रकार की किसी घटना की किसी के पास कोई शिकायत की.

39. तीसरा नकारात्मक परन्तु प्रमुख परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, सागर के प्रकाशित समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार का आभाव है. इन समाचार पत्रों का जो एक नस्ती में है, अवलोकन बतलावेगा कि इस पत्र में विश्वविद्यालय की यद्यपि छोटी छोटी बातें भी प्रकाशित हुई हैं, तथाकथित घटना के बारे में कोई समाचार नहीं है.

40. इस प्रकार डाक्टर कुमारी जैन द्वारा लगाया गया दूसरा आरोप कि लड़कों ने सिकुड़ जाने वाले द्वारा को झंझोड़ा, गालियां बकी एवं पत्थर फेकें पूर्णरूप से निराधार है. लड़कों ने जमा

होकर केवल होली के गीत गाये थे एवं वे कुछ देर तक नाचे भी. कदाचित इनमें से कुछ गीतों में सरल हृदय से वार्डन कुमारी जैन का नाम भी जोड़ा गया हो परन्तु उनमें कोई अश्लीलता नहीं थी होली के दिन इस प्रकार की स्वतंत्रता लेना हमेशा क्षम्य रहा है और उन्हें कभी भी गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया गया है. केवल अनुचित रूप से अत्यधिक भावुक व्यक्ति ही इस प्रकार के होली के गीतों में उसके नाम का उल्लेख होने पर बुरा मान सकता है.

41. डाक्टर कुमारी जैन द्वारा अपने विवरण में लगाया गया तीसरा आरोप एक नारी वेशधारी उस लड़के से संबंधित है जो छात्रावास के दरवाजे तक आया था. किन्तु कुमारी जैन ने मेरे समक्ष अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि यह लड़का छात्रावास के कम्पाउन्ड के अन्दर नहीं घुसा और कम्पाउन्ड गेट तक आने वाली सीढ़ियों से ही कुछ हावभाव करने के बाद लौट गया था. (उनके साक्ष्य की कंडिका 7) उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि ये हावभाव अभद्र थे. मैं नहीं समझ सकता कि कुमारी जैन उस लड़के के इस प्रकार के मनोरंजन पर तब किस प्रकार आपत्ति कर सकती हैं जबकि उसने उनके क्रोध को उभाड़ने का अथवा उनके द्वारा निर्धारित औचित्य के मापदण्ड से भिड़ने का कोई कार्य नहीं किया.

42. उपरोक्त विवेचना के परिणाम स्वरूप मैं बिलकुल स्पष्ट हूं कि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 19 मार्च 1973 को निवेदिता छात्रावास के अन्तः वासियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया. छात्रों द्वारा होली उसी प्रकार जैसी वे प्रतिवर्ष मनाते थे छात्रावास के भवन के बाहर कम्पाउन्ड में नाच गाकर एवं कुछ देर बाद वहां से शांतिपूर्वक चले जाकर. वार्डन कुमारी जैन ने अत्यधिक भावुकता कदाचित इसलिये दर्शायी क्योंकि लड़कों ने छात्रावास के कम्पाउन्ड में न आने की उनकी निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया और होली के गीत गाये जिनमें उनके नाम का उल्लेख था. उन्होंने एक अत्यधिक तनावयुक्त व्यक्ति के समान आचरण किया और अपना आत्म नियंत्रण खो दिया. उन्होंने लड़कियों को, जैसा कि कुमारी विमला गुरु, कुमारी मनजीत रन्धावा एवं कुमारी सुधा मित्रा (ग्रुप क्रमांक 3 की साक्षी क्रमांक 11) के साक्ष्य से स्पष्ट होगा, अनावश्यक रूप से झिड़कना आरंभ कर दिया. उन्होंने एक निरपराध लड़की को बिना किसी कारण चांटा मारा जो उन्हें करने का कोई अधिकार नहीं था. अपने उस विलक्षण मानस के अनुसार, जिसकी विलक्षणता के कारण ज्ञात नहीं है, उन्होंने अस्वाभाविक रूप से व्यवहार किया, और जैसा कि मैं आगे बतलाऊंगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसने घटनाओं के एक ऐसे क्रम को चालू कर दिया जिनके दुष्प्रभावों से विश्वविद्यालय अभी तक संभल नहीं पाया.

43. जांच के लिये निर्देशित दूसरा प्रश्न इस प्रकार है :—

"दुर्व्यवहार यदि किया हो तो उसके लिये कौन जिम्मेदार था ?"

वार्डन कुमारी जैन ने आग्रहपूर्वक यह कहा है कि उत्तम खटीक अपने समूह के साथ (छात्रावास) दो बार आया था. उत्तम खटीक मेरे सामक्ष एक साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ है और उसने स्वीकार किया है कि वह एक फाटक से (छात्रावास) के प्रांगण में आया था तथा दूसरे फाटक से लौटा था. मैंने पहिले ही विवचना की है कि उत्तम खटीक अथवा अन्य किसी ने न कोई बुरा आचरण किया और न निवेदिता छात्रावास के किसी अन्तःवासी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया. इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार दिया जाता है.

44. प्रश्न क्रमांक 3 निम्न प्रकार है :—

"क्या इस घटना के संबंध में पर्याप्त तथा तत्काल कार्यवाही की गई थी ? यदि न की गई हो, तो किसी भी त्रुटि के लिये कौन उत्तरदायी था ?"

जैसा कि प्रश्न बताता है संभवतया वह, स्नेहरानी जैन द्वारा चांसलर को दिये गये प्रतिवेदन में, जिसकी प्रतियां उनके द्वारा विधायकों को बांटी गयी अथवा उनके प्रेस के समक्ष, कि जिसे उनके द्वारा

भोपाल में तीन बार सम्बोधित किया गया, (जैसा कि वे स्वीकार करती हैं), दिये गये कथन मे इस प्रकार के आरोप के संबंध में है. स्पष्ट रूप से वह तत्कालीन उप-कुलपति डाक्टर ईश्वरचन्द्र की ओर इंगित करता है, क्योंकि वार्डन कुमारी जैन के अनुसार, तत्कालीन उप-कुलपति ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उत्तम खटीक के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की. मैं अब वार्डन कुमारी जैन द्वारा, इस संबंध में, विशेष रूप से उल्लेखित बातों की विवेचना करना आरंभ करता हूं. उनके अनुसार, जब उत्तम खटीक और उसके समूह ने दूसरी बार छात्रावास आकर घोर दुराचरण के कृत्य किये, उन्होंने उप-कुलपति को फोन किया परन्तु उप-कुलपति ने उन्हें लिखित रिपोर्ट भेजने के लिये कहा. उप-कुलपति का यह उत्तर प्रेस को इस रूप में उछाला गया कि जब महिला छात्रावास के अन्त:वासियों का जीवन एवं सम्मान संकट में थे, उप-कुलपति ने घोर असावधानी बरती. इससे बड़ी असत्य बात नहीं हो सकती.

45. उप-कुलपति डाक्टर ईश्वरचन्द्र ने इस कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि वार्डन कुमारी जैन ने लगभग दोपहर के समय फोन से यह सूचना दी थी कि उत्तम खटीक एवं कुछ अन्य लड़कों ने महिला छात्रावास में गाने गाये तथा नारे लगाये. उनका कथन है कि उन्होंने वार्डन से पूछा कि लड़के उस समय भी (घटना स्थल पर) उपस्थित हैं और कि क्या वे वहां आवें. इस पर वार्डन ने यह सूचित किया कि लड़के चले गये हैं. डाक्टर ईश्वर चन्द्र ने स्वीकार किया कि जब वार्डन ने यह शिकायत की कि उत्तम खटीक ने अपने समूह के साथ मिलकर दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने उन्हें (कुमारी जैन को) एक लिखित रिपोर्ट भेजने के लिये कहा. यहां यह नोट कर दिया जावे कि फोन द्वारा यह सूचना, वार्डन कुमारी जैन द्वारा, लड़कों के छात्रावास क्षेत्र से लौट जाने के बाद ही जबकि तथाकथित उपद्रव बन्द हो चुका था, दी गयी थी. तब फिर उप-कुलपति और क्या कार्यवाही कर सकते थे. वास्तव में कुमारी जैन जो चाहती थीं वह यह था कि उप-कुलपति केवल उनके कथन के आधार पर ही तत्काल उत्तम खटीक को दण्ड दें. यह, जैसा कि उप-कलपति ने अपने साक्ष्य की कंडिका 10 में स्पष्ट किया है विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत, नहीं किया जा सकता था. कार्यवाही केवल किसी लिखित शिकायत के आधार पर ही की जा सकती थी और उसमें लिखित शिकायत के तथ्यों को देते हुए कारण बताओ नोटिस दिया जाना पड़ता है तथा इस हेतु भी पहले डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा विचार किया जाता है. वार्डन कुमारी जैन को उत्तम खटीक के किसी भी व्यवहार से वास्तविक अथवा काल्पनिक, जो भी कुछ हो, आपत्ति हुई हो, उप-कुलपति नियमों का उल्लंघन कर बिना विचार किये जल्दी में कोई आदेशात्मक कार्यवाही नहीं कर सकत थे.

46. डाक्टर ईश्वरचन्द्र का कथन है कि इसके पश्चात् जब लगभग 2.00 बजे अपरान्ह में उनके भृत्य ने उन्हें सूचित किया कि वार्डन ने पुन: उन्हें फोन किया था, उन्होंने वार्डन से फोन पर सम्पर्क करने का प्रयत्न किया परन्तु वे हॉस्टल से चली गयीं थीं. उन्होंने प्रिफेक्ट कुमारी विमला गुरू से बात चीत की तथा उन्हें बतलाया गया कि उस दिन दोपहर को कोई असामान्य बात नहीं हुई थी. विमला गुरू इसकी पुष्टि करती है. इस पृष्ठभूमि में, उप-कुलपति द्वारा उत्तम खटीक के विरुद्ध वार्डन कुमारी जैन द्वारा केवल मौखिक रूप से आरोप लगाने पर ही, कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनपर अकर्मण्यता का दोष नहीं लगाया जा सकता. जब वार्डन ने बाद में, संभवयता 21 तारीख को लिखित शिकायत दी तो प्राक्टर डाक्टर व्ही. सी. मिश्रा ने कार्यवाही की और उत्तम खटीक को, जैसा कि उनका कथन है, कारण बतलाओ नोटिस भेजा. इस कारण बतलाओ नोटिस दिनांक 22-3-1973 की प्रति (प्रदर्श 2-जी-8) एवं उत्तम खटीक का उत्तर (प्रदर्श 2-जी-9) रिकार्ड में है. अतएव यह कहना कि कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, सत्य नहीं है. जब लिखित शिकायत भेजी गयी तब कार्यवाही अवश्य की गई, यद्यपि, जैसा कि मेरे द्वारा पहले पाया गया है, लिखित शिकायत में दुर्व्यवहार के आरोप को इतना तोड़ मोड़ कर एवं अतिशयोक्ति कर लिखा गया कि वह "झूठ" बन गया.

47. अतएव, मेरा निष्कर्ष है कि प्रथम, इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी जिसमें किसी तुरन्त एवं समुचित कार्यवाही की अपेक्षा हो, एवं दूसरे उप-कुलपति ने प्राक्टर के द्वारा वार्डन की शिकायत पर, जो तथ्यों को देखते हुए सही नहीं थी, कार्यवाही अवश्य आरंभ की थी.

48. प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार है :—

"क्या इस अभिकथित घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति का बर्ताव किसी भी रीति से, दोषपूर्ण था, और यदि दोषपूर्ण हो तो किस प्रकार से ?"

इस प्रश्न में आये हुए शब्द "घटना" को उसके व्यापक संदर्भ में ही लेना पड़ेगा. उसे "कुछ लड़कों के तथाकथित दुर्व्यवहार की घटना" के रूप में सीमित रखने से सभी बातों को दोहराना ही होगा. इस प्रश्न की विवेचना तभी लाभदायक होगी जब पूरे घटनाक्रम को उनकी चरमसीमा तक देखा जावे अर्थात जब 22 मार्च की घटना को भी, जिसमें कि वार्डन कुमारी जैन ने त्यागपत्र दिया, अन्तर्निहित किया जावे.

49. आरम्भ में मैंने स्पष्ट रूप से वह सीमा निर्धारित कर दी थी कि जिसके अन्तर्गत यह जाँच सीमित रहेगी. परन्तु वार्डन कुमारी जैन द्वारा परीक्षित साक्षी डाक्टर एच. एल. गुप्ता ने यह कहते हुए कि 19 मार्च की घटनाओं को 22 मार्च की घटनाओं से प्रथक नहीं किया जा सकता, 22 मार्च की घटनाओं के बारे में भी बतलाने का हठ किया. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री जी. एल. श्रीवास्तव ने साक्षी का समर्थन किया और कहा कि 22 मार्च की घटनाओं पर विचार किये बिना, घटना का, उसके पूरे स्वरूप में, उचित रीति से मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा. विचार करने के पश्चात मैंने वार्डन कुमारी जैन समेत सभी पक्षों को एवं गवाहों को, 22 मार्च की घटना का विवरण देने की अनुमति दी. मैं इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा कि कुमारी जैन का त्यागपत्र स्वेच्छा पूर्वक दिया गया था अथवा विवाध्यता में. मैं उस घटना को संबंधित पक्षों के आचरण एवं उद्देश्यों का उचित अधिमूल्यन करने के लिये ही देखूंगा.

50. जैसा कि मेरे द्वारा पाया गया है होली के दिन निवेदिता छात्रावास के कम्पाउण्ड में कोई गंभीर अथवा असामान्य बात नहीं हुई थी. परन्तु वार्डन कुमारी जैन ने इस पर भी स्वयं को अत्यधिक अपमानित महसूस किया. लेडी वार्डन एवं एक उत्तरदायित्वपूर्ण असिस्टेंट प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपना विवेक खो दिया एवं होली की संध्या को छात्रावास की बाहिरी दीवाल पर निम्नलिखित शब्द लिखकर एक पोस्टर चिपका दिया.

"VISITORS & FRIENDS

Holi brings Fun but not Goondaism

Only student leader Mr. Uttam Khatik and his group boys came to hostel twice damaged the hostel and behaved absurdly dangerous;

Please join me in condemning their behaviour publicly; Abusers reflected the black deeds of their mothers and dirty origin of their seeds.

Lady Warden."

कुछ लड़कियों ने इस पोस्टर को, उसमें उपयोग में लाये गये अनुचित शब्दों के कारण, फाड़ डाला. परन्तु वार्डन ने इन्हीं शब्दों को लिखकर एक दूसरा पोस्टर पुनः चिपका दिया. वह यही अश्लील, गन्दे शब्दों से भरा एवं उत्तेजक पोस्टर था जो बाद की घटनाओं का निकटतम कारण था. मुझे सन्देह नहीं है कि यदि यह पोस्टर नहीं लगाया गया होता तो कहीं कोई संकट या उपद्रव न होता. लड़के क्रुद्ध न होते और वे घटनायें जिनका परिणाम वार्डन कुमारी जैन के त्यागपत्र में हुआ, न हुई होती. मैं यहां दृढ़तापूर्वक कह देना चाहता हूं कि यदि वार्डन कुमारी जैन का त्यागपत्र स्वीकार न किया गया होता तो होली के दिन तथा-घटित घटना की उन्होंने कोई परवाह न की होती न उसे भोपाल में तथा अन्य जगहों में प्रकाशित किया होता.

51. वार्डन द्वारा प्रदर्शित तीव्र प्रतिक्रिया न स्वाभाविक थी न उचित. उसके द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया उसके विचित्र मानसिक गठन के कारण ही कही जा सकती है. उसकी लोहे की छड़ के समान कठोरता की एवं अनुशासन के बाबत उसकी मान्यताओं की एक झलक थोड़े समय के लिये ही वार्डन के रूप

में उसके पिछले रिकार्ड से प्राप्त होती है. उसे 1971 में वार्डन नियुक्त किया गया था और वह तुरन्त ही छात्रावास के नियमों को बदलने में एवं होस्टल को कड़े अनुशासन में जकड़ने में व्यस्त हो गयी. सभी लड़कियों ने सामान्य रूप से परन्तु सीनियर लड़कियों ने विशेष रूप से इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप तत्कालीन उप-कुलपति डाक्टर वेस्ट ने उसे निलंबित किया एवं जांच का आदेश दिया. जांच पूरी हो चुकी थी पर उस पर कार्यवाही शेष थी जबकि डाक्टर वेस्ट को उच्चतम न्यायालय के, डाक्टर ईश्वरचन्द्र के पक्ष में दिये गये एक निर्णय के कारण हटना पड़ा. ऐसा मालूम पड़ता है कि डाक्टर ईश्वरचन्द्र डाक्टर वेस्ट द्वारा किये गये सभी कार्यों को उलटाने के लिये उत्सुक थे और उन्होंने (उपरोक्त जांच पर) शेष कार्यवाही छोड़ दी जिसके परिणाम स्वरूप कुमारी जैन पुनः अपने पद पर नियुक्त हो गयी. यह सब कुमारी जैन द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों में ही आया है. व्यंग इसमें है कि स्वयं डाक्टर ईश्वरचन्द्र को कुमारी जैन की क्रोधाग्नि का शिकार बनना पड़ा. कुछ पालकों तक ने प्रस्तावित कठोर नियमों को पसन्द नहीं किया था. (इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तथा वार्डन एवं पालकों के बीच आदान प्रदान हुए पत्र जो वार्डन कुमारी जैन द्वारा आहूत करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वे फाइल क्रमांक 'सात' में रखे हुए हैं.)

52 होली के दिन जब लड़के केवल नाच रहे थे एवं होली के गीत गा रहे थे, वार्डन का ताव खाजाना बिलकुल ही बोधगम नहीं है. जबकि लड़कियां खुशियां मना रही थीं, केवल उसी ने अपने को अपमानित महसूस किया. कुछ लड़कियां खिड़कियों से रंग फेंक रही थी और कुछ अन्य भीतर के प्रांगण में ड्रम अथवा पीपे बजा रही थीं. वार्डन कुमारी जैन ने लड़कियों को बुरी तरह से झिड़का एवं बिना कारण ही, क्रोध के दौर में, सभ्य घराने की एक शिष्ट लड़की सुषमा जैन (ग्रुप क्र. 1 सा. क्र. 26) को चपत मारी. यह लड़की रोती हुई वहां से चली गई और जैसा कि विमला गुरू ने कहा है, हर्ष और उल्लास का वातावरण तत्काल तनाव एवं खिन्नता से व्याप्त हो गया.

53. बाद में 22-3-1973 को उप-कुलपति के कार्यालय में हुई घटना वार्डन के विचित्र मानसिक गठन को पुनः दर्शाता है. लड़कों ने गालियों के उन शब्दों पर जो वार्डन ने पोस्टर में लिखे थे आपत्ति की एवं उप-कुलपति को उसकी शिकायत की. उप-कुलपति ने वार्डन कुमारी जैन को अपने कार्यालय में बुलाया एवं उससे पोस्टर की अंतिम दो पंक्तियों को वापिस लेने के लिये समझाने का प्रयत्न किया. वह भयानक रूप से क्रोधित हो गयी एवं उसने उपकुलपति तथा अपने विभागाध्यक्ष डाक्टर एस. एन. शर्मा सहित अन्य तीन प्राध्यापकों की सलाह पर विचार करने से तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार कर दिया. डाक्टर एस. एन. शर्मा का कथन दर्शाता है कि उप-कुलपति का रुख अन्त तक उचित एवं सान्त्वना देने तथा समझाने बुझाने हेतु रहा. इसके विपरीत वार्डन ने न केवल पोस्टर के शब्दों का औचित्य ठहराने का भरसक प्रयास किया, उसने मूर्खतापूर्ण यह प्रस्ताव रखा कि लड़कों को अपने शब्द अपनी माताओं के लिये लिखकर दोहराना चाहिए. आयोग के समक्ष उसने पोस्टर के औचित्य को यह कहकर बचाने का प्रयास किया कि वह यही पोस्टर था जिसने लड़कों को बाद में कोई उपद्रव करने से रोका. यह दावा मुर्गे के दावे के समान है जो समझता है कि सूर्य उसके प्रयासों से ऊगता है. उसकी हठधर्मिता भयानक थी और विद्यार्थियों तथा उपकुलपति ने अपनी प्रतिक्रिया रोकने में सराहनीय संयम दिखलाया. हम जानते हैं कि अन्य विश्वविद्यालयों के लड़के इनसे कम उत्तेजनात्मक बातों को लेकर उप-कुलपति तक को हिंसा का शिकार बनाने में नहीं चूके.

54. मेरे मूल्यांकन में वार्डन कुमारी जैन अत्याधिक भावुक, मानसिक तनावयुक्त, तनिक में उत्तेजित होने वाली एवं मिथ्या अहंकार युक्त व्यक्ति हैं और इसलिये उसकी निषेधाज्ञा की अवहेलना कर छात्रावास के प्रांगण में लड़कों के प्रवेश करने के कृत्य पर उसकी प्रतिक्रिया अनुचित, अनपेक्षित एवं असाधारण रही. इस पर लड़कियों द्वारा लड़कों पर रंग फेंककर खुशियां मनाने एवं लड़कों द्वारा नाचे जाते समय ड्रम आदि बजाने के कार्य ने आग में घी डालने का काम किया एवं कु. जैन क्रोध में पागल हो गई. यह उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी और उसने उत्तम खटीक तथा उसके मित्रों द्वारा होली के अवसर पर निर्दोष रूप से मनोरंजन करने के कृत्य को क्रुद्ध व्यक्तियों के आक्रमण का बृहत रूप दिया. यह दुर्भावनापूर्ण एवं अदृश्य अभिमत से प्रेरित होकर किया गया था.

55. कु. जैन ने अपना त्याग पत्र चुनौती देने की भावना से एवं सभी के प्रति अनादर का भाव दिखाते हुए लिख दिया एवं वह उप-कुलपति के कमरे से ताव बताते हुए निकल गई. उप-कुलपति ने स्थिति को, वार्षिक परीक्षाओं की निकटता को देखते हुए, सामान्य करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली. कु. जैन ने यह स्वीकार किया है कि संध्या को उप-कुलपति ने उसके लिये पुनः बुलौआ भेजा था किन्तु उसने उसे स्वीकार करने से इन्कार किया और उनके विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ने के लिये उसने एक अलग मंच चुना. कुलाधिपति के पास जाकर सागर विश्वविद्यालय 1946 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करके वैधानिक कार्यवाही करने के बजाय उसने कुलाधिपति से मिलकर केवल एक शिकायत की. यह आश्चर्यजनक है कि कु. जैन ने आयोग को शिकायत की कोई प्रति नहीं दी यद्यपि उसने स्वीकार किया कि उसने विधायकों एवं प्रेस के लोगों को वितरित करने के लिये कई प्रतियां टाईप करवाई थीं. उसका कथन है कि कुलाधिपति से भेंट करने के तुरन्त पश्चात प्रेस संवाददाताओं को अपनी रिपोर्ट की प्रतियां दी. यह 24 एवं 25 की बात है. समाचार पत्रों में समाचार इसके दूसरे दिन से ही अर्थात् दिनांक 26 से एवं उसके पश्चात् आना आरम्भ हुए और यह मानना उचित होगा कि कुलाधिपति को दी गई शिकायत में एवं प्रेस को दी गई प्रतियों में वे ही बातें होंगी जो प्रेस में प्रकाशित हुई. कु. जैन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने भोपाल में उपस्थित विधायकों को (तब विधान सभा का सत्र चालू था) प्रतियां बांटी एवं 3 प्रेस कांफ्रेंसों को सम्बोधित किया. प्रेस के माध्यम से उप-कुलपति एवं लड़कों पर किया गया तीखा एवं जलता प्रहार कु. जैन के त्यागपत्र के विवाद को ढंककर उसके पहिले की घटना को तीव्र प्रकाश में लाकर उप-कुलपति की मानहानि करने के अभिमत से ही किया गया था. वार्डन यह सोचने के लिये नहीं रुकी कि इस प्रकार की प्रेस रिपोर्ट्स विश्वविद्यालय के सुनाम एवं महिला छात्रावास की प्रतिष्ठा को कितनी अधिक हानि पहुंचावेगी. उसने वास्तव में हाथ सेंकने के लिये टपरी जलाने का कार्य किया.

56. यदि संपूर्ण घटनाक्रम को उसके सभी पहलुओं से देखने का ध्यान रखा जाता है और यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि घटना का दोष किस पर है तो मेरा स्पष्ट निर्णय है कि यह दोष वार्डन कुमारी स्नेहरानी जैन पर ही, जिसने कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुचित साधनों को अपनाया एवं औचित्य की सभी सीमाओं को लांघ दिया है.

57. प्रेस के एक अंश ने उन कहानियों को जो कु. स्नेहरानी जैन ने अपने छात्र नेता भाई के साथ में भोपाल में उनके सामने सजाकर रखी, प्रकाशित कर अत्यन्त अनुत्तरदायित्व का कार्य किया. प्रारम्भिक प्रेस रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सत्य को ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, और वही प्रचार की इस लड़ाई में प्रथम शिकार बना. किन्तु मैं प्रेस के उस दूसरे भाग को बधाइयां दूंगा जिसने सागर आकर तथ्यों को एकत्र करके, बाद में, कहानी का एक अलग ही रूप बतलाया.

58. सारांश में, तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर मैंने सागर विश्वविद्यालय के लड़कों को अन्य विश्वविद्यालयों के उनके भाईयों की तुलना में अधिक अनुशासनबद्ध एवं कम हिंसक पाया है. यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जावे तो उनका आचरण और भी अच्छा रहेगा परन्तु मुझे यह प्रतीत हुआ है कि वे स्वाधीन विचारों के नहीं रहने दिये जाते एवं विश्वविद्यालय के राजनितिज्ञों के हाथों के खिलौने बना दिये जाते हैं.

59. मैं, अपने पास जांच के लिये निर्देशित सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं. जहां तक जांच के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के बारे में ज्ञात हुआ, मैंने अपनी जानकारी देने का प्रयत्न किया है. मैं यह अवश्य चाहता हूं कि यह ठीक रहे यदि कोई उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की जांच करे एवं उन व्यक्तियों को, जो अपनी राजनीति के द्वारा इस महान संस्था के मुख्य उद्देश्य को, जिसके लिये यह स्थापित की गई थी, दूषित करते हैं, बीनकर फेंक दें.

सही—
के. एन. शुक्ल,
मेम्बर,
जांच आयोग.

सागर:
दिनांक 31 दिसम्बर, 1973.

शाकेमुभो—सी/६—गृवि—१७-७-७४—१,४००.